SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का छत्तीसगढ़ में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

छत्तीसगढ़ शासन

वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या-03

(निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का
छत्तीसगढ़ में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

छत्तीसगढ़ शासन

वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या-03

विषय सूची

विषय	अनुच्छेद संख्या	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		*v*
कार्यकारी सारांश		*vii*
अध्याय- I: परिचय		
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लक्ष्य	1.1	1
संगठनात्मक ढांचा	1.2	2
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में नामित अधिकारियों के कर्तव्य एवं दायित्व	1.3	2
अध्याय- II: लेखापरीक्षा की रुपरेखा		
लेखापरीक्षा उद्देश्य	2.1	5
लेखापरीक्षा का दायरा एवं कार्यप्रणाली	2.2	5
लेखापरीक्षा के मानदंड	2.3	5
लेखापरीक्षा का दायरा	2.4	6
आभार	2.5	7
अध्याय- III: शासन और रणनीति (योजना प्रक्रिया)		
शासन और रणनीति (योजना प्रक्रिया)	3.1	9
बेसलाइन सर्वेक्षण का संचालन न करना	3.2	9
परियोजना की शेल्फ एवं श्रम बजट तैयार करना	3.3	10
अनुमानित और प्राप्त मानव -दिवसों में अंतर	3.4	13
मानव संसाधन प्रबंधन	3.5	14
प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण	3.6	16
रोजगार दिवस का आयोजन	3.7	18
अध्याय- IV: वित्तीय प्रबंधन		
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में वित्तपोषण	4.1	19

राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी कोष	4.2	19
प्रशासनिक व्यय से कर्मचारी भविष्य निधि में कर्मचारी अंशदान का अनियमित भुगतान	4.3	21
मजदूरी भुगतान में विलंब पर देय मुआवजा का भुगतान न होना	4.4	22
अध्याय- V: रोजगार सृजन		
रोजगार प्रदान करना	5.1	25
मनरेगा के अंतर्गत रोजगार की मांग	5.2	25
बेरोजगारी भत्तों का भुगतान न किया जाना	5.3	29
अध्याय- VI: कार्यों का निष्पादन		
मनरेगा के अंतर्गत कार्यों का निष्पादन	6.1	31
नमूना जांच किए गए जिलों में अपूर्ण और परित्यक्त कार्यों की स्थिति	6.2	32
अभिसरण कार्यों की स्थिति	6.3	33
क्लस्टर सुविधा परियोजना का निष्पादन	6.4	34
चयनित कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन की स्थिति	6.5	41
अध्याय- VII: निगरानी एवं सामाजिक अंकेक्षण		
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए निगरानी ढांचा	7.1	49
छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का सामाजिक अंकेक्षण	7.2	52
अध्याय- VIII: निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं		
निष्कर्ष	8.1	59
अनुशंसाएं	8.2	60

परिशिष्टि

परिशिष्ट क्रमांक	विषय	कंडिका क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
2.1	चयनित जिलों, जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों का विवरण	2.4	63
3.1	मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए मानव संसाधनों का आबंटन	3.5	64
4.1	वर्ष 2019-24 के दौरान जारी की गई राशि और किए गए व्यय का विवरण	4.2	65
6.1	क्लस्टर सुविधा परियोजना के तहत समयसीमा में प्राप्त किए जाने वाले परिणामों का विवरण	6.4.3	66
6.2	वर्मीकम्पोस्ट इकाइयों पर निरर्थक व्यय का विवरण	6.5.2(i)	68
6.3	पशु आश्रयों पर किए गए निरर्थक व्यय का विवरण	6.5.2(ii)	70
6.4	पृथक्करण शेडों पर किए गए निष्फल व्यय का विवरण	6.5.2(iii)	71

प्राक्कथन

मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाने के लिए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है।

यह प्रतिवेदन "छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन" पर वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि को सम्मिलित करते हुए किए गए निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को प्रस्तुत करता है।

इस प्रतिवेदन में उन प्रकरणों का उल्लेख किया गया है जो 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए किए गए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए, साथ ही वे प्रकरण भी सम्मिलित हैं, जो गत वर्षों में संज्ञान में आए थे, परंतु पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके थे। आवश्यकतानुसार, वर्ष 2023-24 के पश्चात की अवधि से संबंधित प्रकरणों को भी सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सारांश

यह लेखा परीक्षा क्यों की गई?

भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रत्येक ऐसे परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए इच्छुक हों, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के सुनिश्चित मजदूरी हेतु रोजगार का प्रावधान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 को अधिसूचित किया (सितंबर 2005) तथा बाद में इसका नाम परिवर्तित कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) किया गया (अक्टूबर 2009)। यह निष्पादन लेखापरीक्षा छत्तीसगढ़ में जवाबदेही, पारदर्शिता एवं रोजगार सृजन सुनिश्चित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए आयोजित की गई थी। लेखा परीक्षा का उद्देश्य क्रियान्वयन, वित्तीय प्रबंधन तथा निर्धारित रोजगार प्रावधानों की अनुपालन में सुधार की संभावनाओं की पहचान करना था तथा आवश्यकता-आधारित योजना के माध्यम से ग्रामीण आजीविका पर योजना के प्रभाव को बढ़ाने हेतु सुधारात्मक उपाय सुझाना भी था। ये निष्कर्ष संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करने तथा स्थाई परिसंपत्तियों के सृजन और सामाजिक रूप से वंचित महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के सशक्तिकरण के माध्यम से गरीबों के लिए आजीविका सुरक्षा के मूल उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक आधार के रूप में कार्य करते हैं।

हमने क्या पाया ?

हमने लेखापरीक्षा में योजना के प्रमुख घटकों योजना निर्माण, रोजगार सृजन, वित्तीय प्रबंधन, परिसंपत्ति सृजन, अनुश्रवण तथा सामाजिक लेखापरीक्षा में प्रणालीगत कमियाँ पाई।

चयनित जिलों में मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी 43 से 59 प्रतिशत के बीच रही, जो कि अधिनियम में निर्धारित न्यूनतम 33 प्रतिशत की सीमा से अधिक थी। जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर पर भी उनकी भागीदारी निरंतर उच्च बनी रही, जिससे सभी स्तरों पर उनकी सशक्त सहभागिता परिलक्षित होती है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय की भागीदारी मोटे तौर पर उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुरूप रही, जो योजना में समावेशी भागीदारी को दर्शाती है।

योजना के अंतर्गत परिकल्पित बॉटम-अप भागीदारी योजना को काफी हद तक दरकिनार कर दिया गया था। श्रम बजट बिना परिवारों के सर्वेक्षण के तैयार किए गए तथा कार्यों को अनिवार्य ग्राम सभा अनुमोदन के बिना प्रारंभ किया गया। नमूना-जाँच की गई 48 ग्राम पंचायतों में लगभग 86 प्रतिशत कार्य ग्राम सभा की स्वीकृति के बिना कराए गए। मानव संसाधन की उल्लेखनीय कमी (21 प्रतिशत), विशेषकर तकनीकी सहायकों एवं ग्राम रोजगार सहायकों की, ने मैदानी स्तर पर कार्यान्वयन को प्रभावित किया। तकनीकी प्रकोष्ठ जैसे संस्थागत ढाँचे अविकसित रहे, जबकि प्रशिक्षण एवं क्षमता-विकास के पहल काफी हद तक अनुपस्थित थी जिसमें लक्ष्यों के मुकाबले 97 प्रतिशत की कमी पाई गई।

वित्तीय प्रबंधन में, लेखापरीक्षा ने निधियों के उपयोग में खामियों, उपलब्ध शेष राशि के बावजूद मजदूरी भुगतान में विलंब तथा कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान के भुगतान में अनियमितताएँ पाई। अप्रैल 2015 से मार्च 2023 की अवधि के लिए ₹ 29.62 करोड़ की कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान राशि का भुगतान नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप दंड एवं ब्याज सहित ₹ 84.59 करोड़ की देनदारियाँ संचित हो गई।

रोजगार सृजन मांग के अनुमानों के अनुरूप नहीं था। यद्यपि कोविड-19 महामारी अवधि (2020-22) के दौरान सृजित मानव-दिवसों की संख्या चरम पर रही, लेकिन बाद के वर्षों में पूरा करने में कमी के साथ गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई। 2019-24 के दौरान, 152.36 लाख परिवारों ने महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्यों की मांग की जिसमे से 134.10 लाख परिवारों को कार्य प्रदान किया गया, जो रोजगार प्रदान करने में 18.26 लाख (12 प्रतिशत) की कमी को दर्शाता है, लेकिन इन परिवारों को कोई बेरोजगारी भत्ता नही दिया गया। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ शासन ने 2019-24 के दौरान बेरोजगारी भत्ते के लिए ₹ 2.22 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया, लेकिन कोई व्यय नहीं हुआ और समस्त राशि समर्पित कर दी गई।

रोजगार प्रदान किये गए 134.10 लाख परिवारों में से 111.31 लाख परिवारों (83 प्रतिशत) को 100 दिनों से कम रोजगार प्रदान किया गया, 1.23 लाख परिवारों (0.92 प्रतिशत) को पूरे 100 दिन का रोजगार प्रदान किया गया एवं 21.56 लाख परिवार (16 प्रतिशत) को 100 दिनों से ज्यादा रोजगार प्रदान किया गया, जो महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के कार्यान्वयन में असमानता को दर्शाता है।

वर्ष 2019-24 के दौरान स्वीकृत कार्यों में से अक्टूबर 2024 तक केवल 61 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण हो पाए थे। चयनित कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन में निष्क्रिय, अनुपयोगी अथवा उपयोग में न लाई जा रही परिसंपत्तियों के प्रकरण पाए गए। अभिसरण पहलों के अंतर्गत, कई कार्य बिना पूर्व योजना अथवा ग्राम सभा के अनुमोदन के बिना कराए गए। क्लस्टर सुविधा परियोजना, आकांक्षी जनपदों में एक प्रमुख पहल है, जो परिचालन में देरी, विशेषज्ञों की कमी तथा निष्पादन लक्ष्यों की प्राप्ति न होने से प्रभावित हुई।

निगरानी ढांचा प्रायः गैर-कार्यात्मक पाई गई। वैधानिक पर्यवेक्षण निकायों जैसे छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद तथा राज्य स्तरीय सशक्त समिति द्वारा निर्धारित बैठकों का आयोजन नहीं किया गया। जिला गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठों का गठन नहीं किया गया तथा ग्राम पंचायत स्तर पर अनिवार्य पंजियों का संधारण या तो अपूर्ण थे अथवा संधारित ही नहीं किए गए थे।

सामाजिक अंकेक्षण जो, अधिनियम के अंतर्गत एक प्रमुख जवाबदेही तंत्र है, का क्रियान्वयन निर्धारित मानदंडो के अनुसार नहीं किया गया था। सामाजिक अंकेक्षण हेतु निर्धारित ₹ 58.68 करोड़ की राशि में से केवल ₹ 42.55 करोड़ ही व्यय किए गए तथा सामाजिक अंकेक्षण इकाई में स्वीकृत पदों में से 45 प्रतिशत पद रिक्त रहे। ग्राम पंचायतों का लेखा परीक्षा कवरेज अपर्याप्त रहा, कुछ वर्षों में 99.97 प्रतिशत तक ग्राम पंचायतों का अंकेक्षण नहीं किया गया था। सामाजिक अंकेक्षण की 53 प्रतिशत से अधिक टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दिया गया।

पाई गयी कमियाँ सामूहिक रूप से मनरेगा की मूल भावना एवं प्रावधानों का पालन न करने का संकेत देती है, ग्रामीण क्षेत्रों में गारंटीशुदा रोजगार तथा स्थायी परिसंपत्तियों के सृजन के माध्यम से आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण के इसके प्राथमिक उद्देश्य को कमजोर करती है।

हम क्या अनुशंसा करते हैं ?

राज्य सरकार को चाहिए कि:

- ***एक निर्धारित तिथि के साथ सर्वेक्षण के आधार पर परिवारों के आधारभूत आंकड़े अधिसूचित करे तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों की उच्च भागीदारी द्वारा जमीनी स्तर के नियोजन तंत्र को सुदृढ़ करना एवं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पर्याप्त मानव संसाधन प्रदान करना ;***
- ***यह सुनिश्चित करे कि वार्षिक विकास योजना में शामिल कार्यों को ग्राम सभा की स्वीकृति प्राप्त होना चाहिए;***
- ***मजदूरी तथा कर्मचारियों के वेतन का समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करना;***
- ***रोजगार की मांग का प्रलेखन एवं बेरोजगारी भत्ते का समय पर वितरण सुनिश्चित करना तथा मांग सत्यापन प्रक्रियाओं को नरेगासॉफ्ट के अंतर्गत एकीकृत करना;***
- ***सभी ग्राम पंचायतों की वर्ष में दो बार सामाजिक अंकेक्षण हेतु पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध कराना तथा अनुवर्ती कार्यवाही की बारीकी से निगरानी करना।***

अध्याय - I

परिचय

अध्याय- I

परिचय

1.1 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लक्ष्य

भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 को सितंबर 2005 में अधिसूचित किया एवं बाद में इसका नाम बदलकर (अक्टूबर 2009) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा अधिनियम) कर दिया। मनरेगा का अधिदेश प्रत्येक परिवार को जिसके व्यस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य स्वैच्छिक रूप से करने को तैयार हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार प्रदान करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है।

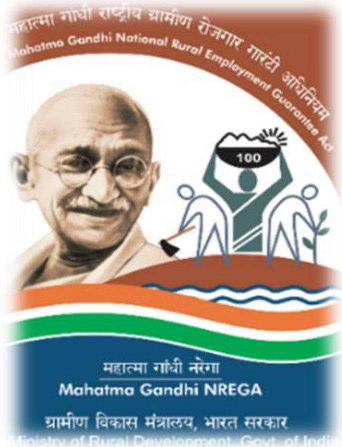

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लक्ष्य निम्नलिखित प्रदान करना है:

- रोजगार के अवसर प्रदान करके ग्रामीण भारत में रहने वाले सबसे कमजोर लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा;
- स्थाई परिसंपत्तियों का निर्माण, बेहतर जल सुरक्षा, मृदा संरक्षण के माध्यम से गरीबों के लिए आजीविका सुरक्षा;
- ग्रामीण भारत में सूखा-प्रतिरोधी उपाय और बाढ़ प्रबंधन;
- सामाजिक रूप से वंचित समूहों, विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का अधिकार-आधारित कानून के माध्यम से सशक्तिकरण;
- विभिन्न गरीबी उन्मूलन और आजीविका योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से विकेन्द्रीकृत और भागीदारी योजना प्रक्रिया को सुदृढ़ करना;
- शासन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना।

छत्तीसगढ़ सरकार ने मनरेगा अधिनियम, 2005 के अंतर्गत यथा अपेक्षित छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना)[1] को अधिसूचित किया (मार्च 2006)। छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को पहले चरण में 11 जिलों में लागू किया गया एवं फिर चार अतिरिक्त जिलों में (अप्रैल 2007) विस्तारित किया गया तथा अप्रैल 2008 से सभी शेष जिलों को भी योजना में शामिल किया गया।

---

[1] छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को राज्य में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार योजना (मनरेगा योजना) के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता है।

छत्तीसगढ़ शासन ने (2013) यह निर्णय लिया कि अपनी संसाधनों से प्रत्येक परिवार को अतिरिक्त 50 दिनों का गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाएगा।

1.2 संगठनात्मक ढांचा

राज्य स्तर पर छत्तीसगढ़ में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग मनरेगा योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल विभाग है। मनरेगा अधिनियम, 2005 के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद का गठन किया गया और इसे मई 2011 में एक सोसाईटी रूप में पंजीकृत किया गया। यह छत्तीसगढ़ में योजना के सफल क्रियान्वयन और सतत निगरानी एवं पर्यवेक्षण के लिए शीर्ष संस्था है।

छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन के लिए संगठनात्मक ढाँचा **चार्ट** 1.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.1: छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन हेतु संगठनात्मक ढांचा

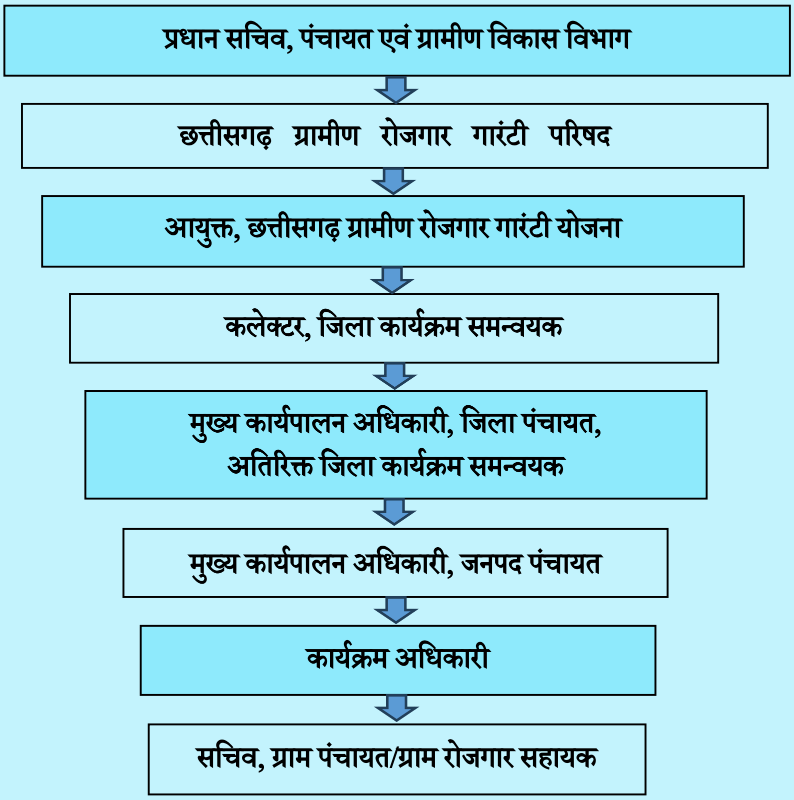

1.3 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में नामित अधिकारियों के कर्तव्य एवं दायित्व

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मनरेगा के क्रियान्वयन के लिए स्थापित संस्थागत तंत्र और विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों की भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों को **तालिका** 1.1 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 1.1: विभिन्न स्तरों पर कर्तव्य एवं दायित्व

स्तर	नामित अधिकारी	कर्तव्य एवं दायित्व
राज्य स्तर	प्रधान सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	राज्य कार्यक्रम समन्वयक (आयुक्त) को मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करना, संबंधित विभागों के साथ समन्वय एवं निगरानी करना तथा जिला कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम अधिकारी को आवश्यक वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियाँ प्रत्यायोजित करना।
	छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद	परिषद योजना के सफल क्रियान्वयन पर राज्य सरकार को परामर्श देने, इसके कार्यान्वयन की निगरानी एवं पर्यवेक्षण करने, राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने हेतु वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने के लिए उत्तरदायी है।
	आयुक्त, मनरेगा योजना, छत्तीसगढ़	जिला कार्यक्रम समन्वयकों के साथ समन्वय, योजना की समीक्षा एवं निगरानी तथा प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
जिला स्तर	जिला कलेक्टर, जिला कार्यक्रम समन्वयक के रूप में नामित	जिला स्तर पर योजना का समग्र समन्वय एवं क्रियान्वयन।
	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक	योजना के क्रियान्वयन में जिला कार्यक्रम समन्वयक की सहायता करना।
विकासखंड/ जनपद स्तर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	जनपद स्तर पर योजना के नियंत्रक के रूप में नामित।
	कार्यक्रम अधिकारी	रोजगार मांग को कार्यों से मिलान करना, जनपद स्तर पर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना तथा जिला कार्यक्रम समन्वयकों के साथ समन्वय करना।
ग्राम पंचायत स्तर	पंचायत सचिव	जॉब कार्ड हेतु आवेदन एवं रोजगार मांग प्राप्त करना, मस्टर रोल का संधारण, मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना तथा परिसंपत्तियों का रखरखाव।
	ग्राम रोजगार सहायक	अभिलेखों के संधारण एवं निष्पादित कार्यों की निगरानी करने के लिए पंचायत सचिव की सहायता करना।

अध्याय - II

लेखापरीक्षा की रूपरेखा

अध्याय- II

लेखापरीक्षा की रुपरेखा

2.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखा परीक्षा का उद्देश्य का आकलन करना था कि क्याः

- प्रासंगिक नियमों एवं विनियमों का पालन करते हुए अधिनियम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना प्रक्रिया एवं वित्तीय प्रबंधन प्रथाओं को पर्याप्त रूप से तैयार किया गया था;
- रोजगार के अवसरों तक निष्पक्ष पहुँच हासिल की गई तथा पर्याप्त रोजगार सृजित किया गया, जिससे परिकल्पित सामाजिक सुरक्षा एवं आजीविका सुरक्षा प्राप्त हो सके;
- अन्य कार्यक्रमों/योजनाओं के साथ अभिसरण सुनिश्चित करते हुए नियमों एवं विनियमों के अनुरूप स्थाई एवं उपयोगी परिसंपत्तियों का सृजन एवं रखरखाव किया गया;
- अधिक पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु उचित एवं पर्याप्त निगरानी, सामाजिक अंकेक्षण तथा शिकायत निवारण प्रणालियाँ मौजूद थी और परिकल्पित रूप से कार्य कर रही थी।

2.2 लेखापरीक्षा का दायरा एवं कार्यप्रणाली

योजना का निष्पादन लेखापरीक्षा जुलाई 2024 से अक्टूबर 2024 के दौरान संचालित किया गया, जिसमें वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि को शामिल किया गया। लेखापरीक्षा की कार्यप्रणाली में राज्य स्तर पर छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद तथा निदेशक, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई के कार्यालय के अभिलेखों/दस्तावेजों की जांच, जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वयकों एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के अभिलेखों की जांच तथा जनपद पंचायतों में कार्यक्रम अधिकारियों एवं चयनित ग्राम पंचायतों में वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के अभिलेखों का परीक्षण शामिल था। चयनित ग्राम पंचायतों में कार्यों का संयुक्त भौतिक सत्यापन भी किया गया था। आगम बैठक 07 अगस्त 2024 को आयुक्त, छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ आयोजित किया गया था। निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मई 2025 में विभाग को जारी किया गया था तथा विभागीय उत्तर जुलाई 2025 में प्राप्त हुए थे। निर्गम बैठक 20 जून 2025 को आयोजित किया गया तथा विभाग के उत्तरों को उपयुक्त रूप से प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया।

2.3 लेखापरीक्षा के मानदंड

लेखा परीक्षण मानदंडों के स्रोत निम्नलिखित थेः

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005, परिचालन दिशानिर्देश, 2013 समय-समय पर किए गए संशोधनों सहित तथा अधिनियम के अंतर्गत जारी नियम।

- छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित)।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक मास्टर परिपत्र, भारत सरकार तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र, निर्देश एवं दिशानिर्देश।

2.4 लेखापरीक्षा का दायरा

छत्तीसगढ़ में कुल 33 जिलों में से छः जिलों (18 प्रतिशत) का चयन लेखापरीक्षा में स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण पद्धति द्वारा नमूना-जांच हेतु किया गया। चयनित छः जिलों में से 12 जनपद पंचायतों तथा प्रत्येक चयनित जनपद पंचायत से चार ग्राम पंचायतों का चयन भी आकारानुपाती प्रायिकता नमूना पद्धति (बिना पुनर्स्थापन) के आधार पर नमूना-जांच हेतु किया गया। इस प्रकार, चयनित छः जिलों की 12 जनपद पंचायतों से कुल 48 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया। नमूना जांच इकाइयों का विवरण **परिशिष्ट 2.1** में दिया गया है तथा उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य के मानचित्र में **चार्ट 2.1** में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 2.1: चयनित जिला, जनपद एवं गावों की सूची

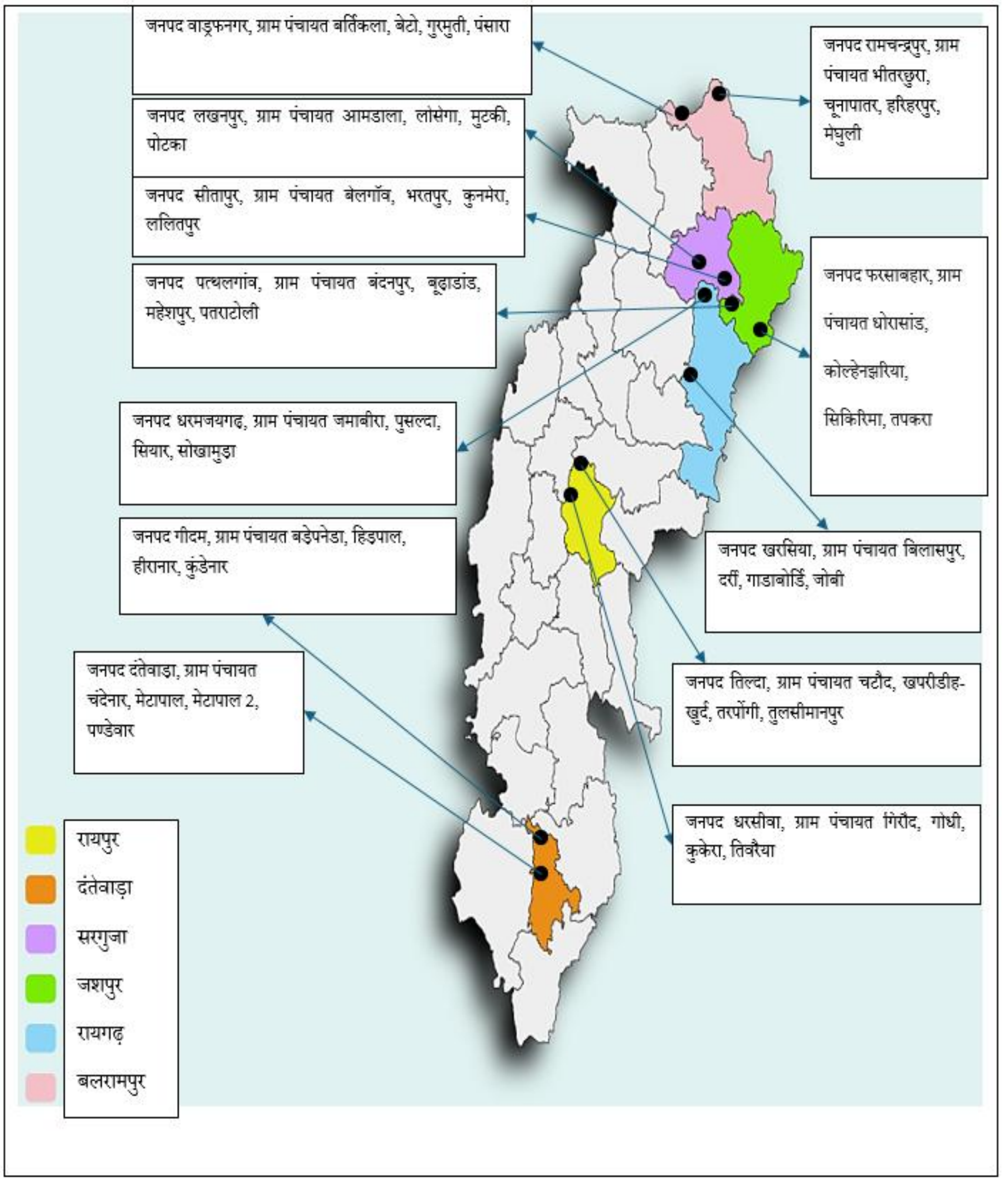

2.5 आभार

लेखापरीक्षा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, आयुक्त, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा सभी क्रियान्वयन इकाइयों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा प्रदान किए गए सहयोग एवं सहायता के लिए आभार व्यक्त करता है।

अध्याय - III

शासन और रणनीति (योजना प्रक्रिया)

अध्याय-III

शासन और रणनीति (योजना प्रक्रिया)

3.1 शासन और रणनीति (योजना प्रक्रिया)

छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सहभागी योजना अत्यंत आवश्यक है। अतः यह अपेक्षित है कि ग्राम पंचायतों को समुदाय के लिए अधोसंरचना निर्माण हेतु अपनी आवश्यकताओं की स्वयं पहचान करनी चाहिए, उन्हें प्रस्तावों के रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए तथा ग्राम सभा से अनुमोदन प्राप्त करनी चाहिए। महात्मा गाँधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की नीतिगत रूपरेखा में बॉटम-अप दृष्टिकोण अपनाया गया है तथा शक्तियों का विकेंद्रीकरण संस्थागत रूप से किया गया है।

3.2 बेसलाइन सर्वेक्षण का संचालन न करना

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 6.2 के अनुसार, ग्राम पंचायत में रोजगार की मांग की मात्रा तथा समय का मूल्यांकन करने हेतु बेसलाइन सर्वेक्षण तैयार करने के लिए प्रत्येक जॉब कार्ड धारकों का सर्वेक्षण ग्राम पंचायतों में अनिवार्य रूप से किया जाना है। प्रत्येक राज्य को सर्वेक्षण की रूपरेखा एवं कार्यप्रणाली को अंतिम रूप देने के लिए विशेषज्ञ संस्थानों को सूचीबद्ध करना होता है। इसके अतिरिक्त, आजीविका के स्वरूप में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पाँच वर्ष में पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यह बेसलाइन मूल्यांकन ग्राम पंचायत तथा जिले की विकास योजनाओं[1] का एक अनिवार्य घटक है।

छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि सर्वेक्षण कराने हेतु रूपरेखा एवं कार्यप्रणाली को अंतिम रूप देने के लिए राज्य अथवा जिला स्तर पर किसी भी संस्था को सूचीबद्ध नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा अवधि 2019-20 से 2023-24 के दौरान चयनित छः जिलों के जिलों, जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में बेसलाइन सर्वेक्षण कराए जाने को सुनिश्चित करने के संबंध में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। सर्वेक्षण के अभाव में जॉब कार्ड धारकों द्वारा कार्य की मांग की मात्रा तथा रोजगार की मांग के समय का सही आकलन नहीं किया जा सका, जिसके परिणामस्वरुप जमीनी स्तर पर एक वास्तविक विकास योजना तैयार नहीं की जा सकी।

शासन ने कहा (जुलाई 2025) कि सभी इच्छुक परिवारों का पहले ही पंजीकरण किया जा चुका था, अतः घर-घर सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं थी। तथापि, विशेषज्ञ संस्थानों के सूचीबद्ध किए जाने के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गई थी।

---

1 यह मनरेगा योजना के लिए एक वार्षिक योजना है जिसे ग्राम सभा की सिफारिशों पर विचार करने के बाद प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया जाता है।

पंजीकरण के संबंध में शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इसमें ग्रामीण आजीविका के उभरती एवं बदलती प्रवृत्ति, रोजगार की मांग के समय तथा मात्रा जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी की गई है, जो वास्तविक योजनाओं एवं श्रम बजट तैयार करने के लिए आवश्यक है।

3.3 परियोजना की शेल्फ एवं श्रम बजट तैयार करना

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 6 तथा वर्ष 2019-24 के लिए जारी वार्षिक मास्टर परिपत्रों में यह परिकल्पित किया गया है कि परियोजनाओं की शेल्फ की पहचान तथा श्रम बजट के अनुमानों की तैयारी एक आवश्यक वार्षिक कार्य योजना दस्तावेज है जिसमें योजना निर्माण, अनुमोदन, वित्तपोषण तथा परियोजना क्रियान्वयन की प्रक्रियाएँ सम्मिलित होती हैं तथा इसमें कार्य की अनुमानित मांग की मात्रा एवं कार्यों की समय-सारणी का विवरण शामिल होता है। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना को जनपद स्तर पर समेकन हेतु जनपद पंचायत को प्रस्तुत करती है।

(i) ग्राम सभा की स्वीकृति के बिना कार्यों का निष्पादन

मनरेगा अधिनियम की धारा 16(1) के अनुसार ग्राम पंचायत, ग्राम सभा की संस्तुतियों के अनुसार लिए गए कार्यों की पहचान, निष्पादन तथा पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगी। साथ ही, वार्षिक मास्टर परिपत्र में यह भी प्रावधान है कि जिला योजना समिति को जिले की प्रत्येक ग्राम सभा द्वारा परियोजनाओं की शेल्फ के अनुमोदन के लिए, योजना निर्माण से अनुमोदन तक बॉटम-अप दृष्टिकोण के सिद्धांत का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना होगा।

ग्राम सभा कार्यवाही पंजी में ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कार्यों की सूची दर्शाई जाती है। लेखापरीक्षा द्वारा सूचना प्रबंधन प्रणाली के प्रतिवेदन (आर.6.12) की जांच में यह पाया गया कि कई कार्यों को ग्राम सभा की स्वीकृति के बिना ही वार्षिक कार्य योजनाओं तथा वार्षिक विकास योजनाओं में सम्मिलित किया गया था। वर्ष 2019-24 के दौरान नमूना-जांच किये गए जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कार्यों तथा वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित कार्यों का विवरण **तालिका 3.1** में दिया गया है।

तालिका 3.1: चयनित ग्राम सभाओं द्वारा अनुमोदित एवं वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित कार्यों का विवरण

चयनित जिला का नाम	कुल स्वीकृत कार्य (सूचना प्रबंधन प्रणाली के प्रतिवेदन आर.6.12 के अनुसार)	ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कार्य जिसे वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित नहीं किया गया	ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कार्य जिसे वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित किया गया
बलरामपुर	1535	95	106
दंतेवाड़ा	4338	273	491
जशपुर	2777	709	171
रायगढ़	1285	444	423
रायपुर	1129	128	93
सरगुजा	1650	210	433
योग	**12714**	**1859**	**1717**

(स्रोत: सूचना प्रबंधन प्रणाली एवं ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़े एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

नमूना-जांच किये गए 48 ग्राम पंचायतों में वर्ष 2019-24 के दौरान वार्षिक कार्य योजना में स्वीकृत कुल 12,714 कार्यों में से केवल 1,717 कार्यों (14 प्रतिशत) को ही ग्राम सभा की स्वीकृति प्राप्त थी, इस प्रकार 10,997 कार्य (86 प्रतिशत) संबंधित ग्राम सभाओं की स्वीकृति के बिना ही संपादित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित 1,859 कार्यों को वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित नहीं किया गया था। नमूना-जांच किये गए ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कार्यों के विश्लेषण में यह भी पाया गया कि 19 ग्राम पंचायतों में 90 प्रतिशत से अधिक कार्य ग्राम सभा की स्वीकृति के बिना निष्पादित किए गए, जबकि 24 ग्राम पंचायतों में 50 से 80 प्रतिशत तक कार्य बिना ग्राम सभा की स्वीकृति के किए गए। एक ग्राम पंचायत (पुसल्दा, रायगढ़) में 23 प्रतिशत कार्य ग्राम सभा की स्वीकृति के बिना कराए गए।

नमूना-जांच किये गए जिलों में कुल 336 कार्यों में से केवल 83 कार्यों को ग्राम सभा की स्वीकृति प्राप्त थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि लगभग 75 प्रतिशत कार्य संबंधित ग्राम सभाओं की अपेक्षित स्वीकृति के बिना ही निष्पादित किए गए।

भारत सरकार द्वारा श्रम बजट की स्वीकृति के पश्चात जिला के लक्ष्यों को आनुपातिक रूप से तदर्थ आधार पर घटा दिया गया। इसके अतिरिक्त, ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कार्यों को शामिल करने अथवा हटाने का काम ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत अथवा जिला स्तर पर ग्राम सभा की स्वीकृति के बिना ही किया गया था। साथ ही, वार्षिक कार्य योजना एवं श्रम बजट में कार्यों को सम्मिलित करने हेतु किसी प्रकार का औचित्य अथवा आवश्यकता आकलन अभिलेखों में उपलब्ध नहीं पाया गया, जो योजना एवं श्रम बजट तैयार करने में विभाग के मनमाने/तदर्थ दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस प्रकार, अनिवार्य योजना प्रक्रिया का अनुपालन न होने से ग्राम सभा की भूमिका कमजोर हुई तथा योजना निर्माण में बॉटम-अप दृष्टिकोण की अनदेखी की गई।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायतों ने उत्तर दिया कि ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित एवं अनुमोदित कार्यों को वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित किया गया था। तथापि, ग्राम पंचायतों एवं अन्य पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त कार्यों को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित किया गया था। आगे सरकार ने कहा (जुलाई 2025) कि ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार योजनाओं को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कर जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों को प्रस्तुत किया गया था तथा समेकित योजनाओं को भारत सरकार की सशक्त समिति को अनुमोदन हेतु भेजा गया था। भारत सरकार के निर्देशानुसार वार्षिक कार्य योजना/श्रम बजट तैयार करने हेतु ग्राम पंचायतों को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित न किए गए कार्य भी ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, वार्षिक कार्य योजना में कार्यों को विभिन्न स्तरों पर ग्राम सभा की स्वीकृति के बिना जोड़ा एवं घटाया गया था, जो यह दर्शाता है कि अनिवार्य बॉटम-अप योजना प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, जिससे सामुदायिक सहभागिता कमजोर हुई।

(ii) परियोजनाओं की शेल्फ एवं श्रम बजट का प्रस्तुत करना

श्रम बजट राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जाने वाला एक दस्तावेज है, जिसमें योजना के अंतर्गत सृजित किए जाने वाले कुल मानव-दिवसों[2] को अनुमान लगाया जाता है। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाता है तथा तत्पश्चात ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव की अध्यक्षता में गठित सशक्त समिति के समक्ष रखा जाता है। समिति संबंधित राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के साथ इन अनुमानों पर चर्चा करती है एवं तत्पश्चात राज्य के लिए अंतिम श्रम बजट जिसे मानव-दिवसों में व्यक्त किया जाता है, को अंतिम रूप दिया जाता है।

मनरेगा के अनुच्छेद 7 में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यप्रणाली के अनुसार पंचायत के प्रत्येक स्तर पर एक व्यवस्थित एवं सहभागी योजना प्रक्रिया का प्रावधान है। इसके अलावे, वार्षिक कार्य योजना में यह भी प्रावधान है कि ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों तथा जिला पंचायतों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले सभी कार्यों की पहचान कर उन्हें क्रमशः निर्वाचित निकायों अर्थात ग्राम सभा, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के समक्ष रखा जाएगा। भारत सरकार ने (सितंबर 2018) श्रम बजट की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण हेतु प्रत्येक स्तर के लिए समय-सीमा निर्धारित की है, जिसे **चार्ट 3.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.1 परियोजनाओं की शेल्फ एवं श्रम बजट के प्रस्तुतीकरण की समय-सीमा

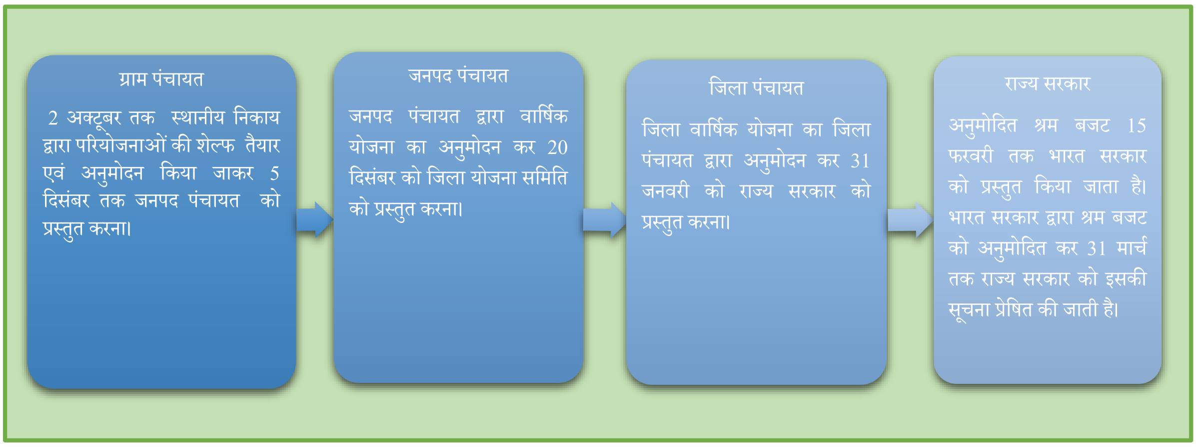

नमूना-जांच किये गए जिलों में अभिलेखों की जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- वार्षिक विकास योजनाएँ, जो कि श्रम बजट का आधार होती हैं, चयनित 48 ग्राम पंचायतों में से किसी भी ग्राम पंचायत द्वारा तैयार नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, संबंधित ग्राम सभाओं से श्रम बजट की स्वीकृति भी प्राप्त नहीं की गई थी।
- जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को 20 दिसंबर तक श्रम बजट जिला योजना समितियों को प्रस्तुत करना होता है। तथापि, चयनित 12 जनपद पंचायतों में जिला योजना समन्वयक को प्रस्तुतीकरण की तिथि का निर्धारण करने हेतु कोई

[2] मानव-दिवस एक मजदूर को प्रदान किये गए रोजगार के एक दिन को प्रदर्शित करने वाले इकाई को संदर्भित करता है।

अभिलेख नहीं पाए गए। साथ ही, जनपद पंचायत की निर्वाचित संस्था से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु भी श्रम बजट प्रस्तुत नहीं किया गया।

- चयनित जिला योजना समन्वयक द्वारा श्रम बजट लगभग निर्धारित समय-सीमा में राज्य सरकार को प्रस्तुत किए गए थे। तथापि, ये श्रम बजट अनिवार्य रूप से निर्वाचित संस्था, अर्थात जिला पंचायत, की स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही अग्रेषित कर दिए गए थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर चयनित जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा चयनित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने कहा (अक्टूबर 2024) कि भविष्य में ऐसी योजनाएँ तैयार की जायेंगी।

सरकार ने कहा (जुलाई 2025) कि योजना बॉटम-अप दृष्टिकोण के अनुसार तैयार की गई थी तथा इस संबंध में समय-समय पर जिला अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए थे।

सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि लेखापरीक्षा के दौरान ग्राम पंचायतों द्वारा योजना तैयार किए जाने तथा निर्वाचित निकायों द्वारा श्रम बजट की स्वीकृति से संबंधित कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं पाए गए।

3.4 अनुमानित और प्राप्त मानव-दिवसों में अंतर

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 6.1.3 में यह प्रावधान है कि जिला कार्यक्रम समन्वयक को जिले में प्रत्येक ग्राम सभा द्वारा चयनित परियोजनाओं की शेल्फ की योजना बनाने से लेकर अनुमोदन तक बॉटम-अप दृष्टिकोण के सिद्धांत का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना चाहिए।

भारत सरकार द्वारा श्रम बजट के अनुसार स्वीकृत मानव-दिवसों के अनुमोदन के पश्चात, राज्य सरकार ने लक्ष्यों में तदनुसार संशोधन किया। वर्ष 2019-24 के दौरान, स्वीकृत श्रम बजट तथा वास्तविक रूप से सृजित मानव-दिवसों का विवरण **चार्ट 3.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.2: अनुमानित बनाम वास्तविक मानव दिवसों का रुझान

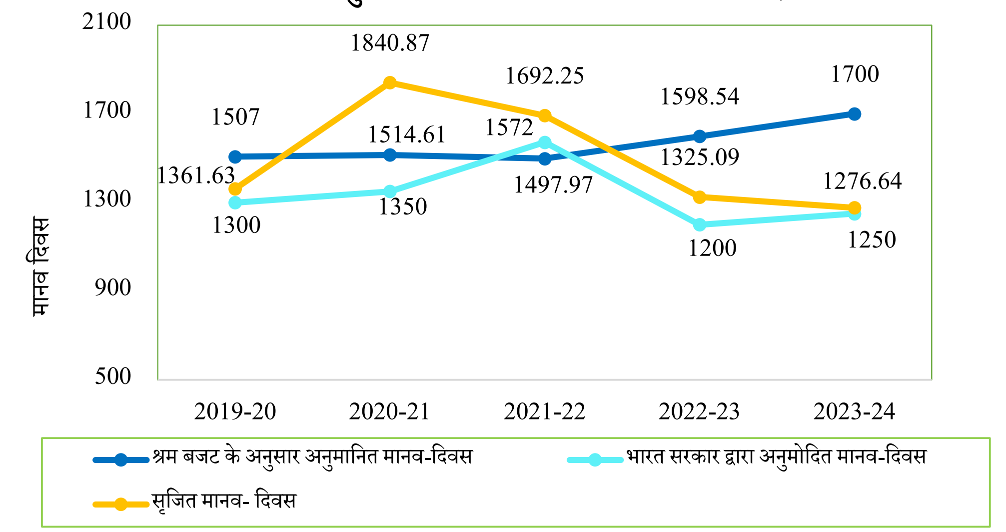

(स्रोत: छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद द्वारा प्रदान किए गए आंकड़े एवं सूचना प्रबंधन प्रणाली के आंकड़े)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- वर्ष 2019-24 के दौरान राज्य द्वारा श्रम बजट में प्रस्तावित मानव-दिवसों और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मानव-दिवसों के बीच उल्लेखनीय विसंगति पाई गई। वर्ष 2023-24 में इसमें विशेष रूप से भारी कटौती देखी गई, जहाँ प्रस्तावित 1,700 लाख मानव-दिवसों के स्थान पर प्रारंभ में केवल 700 लाख मानव-दिवसों की ही स्वीकृति दी गई, यद्यपि बाद में इसे संशोधित कर 1,250 लाख मानव-दिवस कर दिया गया था।
- वर्ष 2019-20, 2022-23 तथा 2023-24 के दौरान वास्तविक रूप से सृजित मानव-दिवस बजट में अनुमानित मानव-दिवसों से कम रहे, जिसमें वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक कमी (423.36 लाख मानव-दिवस अथवा 25 प्रतिशत) दर्ज की गई थी। जबकि वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान वास्तविक रूप से सृजित मानव-दिवस बजट में अनुमानित मानव-दिवसों से अधिक रहे। सभी पाँच वर्षों में वास्तविक रूप से सृजित मानव-दिवस, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मानव-दिवसों से अधिक पाए गए।

यह स्थिति ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य की वास्तविक मांग का आकलन करने हेतु श्रम बजट की तैयारी से पूर्व ग्राम स्तर पर सर्वेक्षण न किए जाने के कारण उत्पन्न हुई। इस प्रकार, वास्तविक तथा अनुमानित मानव-दिवसों के बीच विचलन मांग के आकलन की प्रक्रिया में खामियों तथा योजना निर्माण में विसंगतियों को उजागर करता है।

सरकार ने कहा (जुलाई 2025) कि भारत सरकार द्वारा श्रम बजट का वार्षिक अनुमोदन राज्य के अनुमानों के आधार पर किया गया तथा कार्य प्रगति के अनुसार संशोधन भी स्वीकृत किए गए। मजदूरी का भुगतान वास्तविक रूप से सृजित मानव-दिवसों के आधार पर किया गया। मनरेगा एक मांग-आधारित योजना है तथा पंजीकृत परिवारों को उनकी मांग के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया गया।

मूल्यांकन की त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया के कारण भारत सरकार एवं राज्य के बजट में मनरेगा हेतु निधियों का अपर्याप्त प्रावधान हुआ, जिसके परिणामस्वरूप निधि जारी करने एवं श्रमिकों को मजदूरी भुगतान में विलंब हुआ।

3.5 मानव संसाधन प्रबंधन

मनरेगा की सफलता की कुंजी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर पर्याप्त मानव संसाधनों का प्रावधान है। मनरेगा अधिनियम की धारा 18 में राज्य सरकार योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं कार्यक्रम अधिकारी को आवश्यकतानुसार कर्मचारी एवं तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने का प्रावधान है। राज्य स्तर पर व्यावसायिक सेवाएँ प्रदान करने हेतु संविदा आधार पर सहायक कर्मचारी भी तैनात किया जा सकता है। मार्च 2024 तक स्वीकृत पदों के विरुद्ध कुछ प्रमुख पदों की उपलब्धता का विवरण **परिशिष्ट 3.1** में दिया गया है तथा उसका सारांश **तालिका 3.2** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 3.2: कार्यान्वयन एजेंसी में जनशक्ति की तैनाती

कार्यान्वयन स्तर	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त (प्रतिशत)
राज्य स्तर	66	43	23 (35)
जिला स्तर	408	258	150 (37)
जनपद स्तर	4018	2676	1342 (33)
ग्रामीण स्तर	10862	9159	1703 (16)
कुल	**15354**	**12136**	**3218 (21)**

(स्रोतः छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद द्वारा प्रदान किए गए आंकड़े)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्यक्रम अधिकारी, सहायक कार्यक्रम अधिकारी, विशेषज्ञ, प्रोग्रामर, लेखा अधिकारी/लिपिक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, तकनीकी सहायक, ग्राम रोजगार सहायक आदि विभिन्न श्रेणियों के कुल 15,354 पद स्वीकृत थे, जिनके विरुद्ध 12,136 पद भरे गए थे, जबकि 3,218 पद (21 प्रतिशत) रिक्त पड़े थे। राज्य, जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कुल कमी क्रमशः 35 प्रतिशत, 37 प्रतिशत, 33 प्रतिशत तथा 16 प्रतिशत थी।

आगे , नमूना-जांच किये गए जिलों में पदों की कमी 25 प्रतिशत से 54 प्रतिशत के बीच रही, जिससे योजना के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

सरकार ने कहा (जुलाई 2025) कि प्रशासनिक मद के अंतर्गत उपलब्ध निधियों तथा सक्रिय जॉब कार्डों के अनुपात में मानव संसाधनों पर होने वाले व्यय के आधार पर पदों के युक्तिकरण हेतु एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

3.5.1 तकनीकी प्रकोष्ठ की स्थापना न किया जाना

मनरेगा वार्षिक मास्टर परिपत्र 2020-21 की उपधारा 7.12.5(जी) के अनुसार, जिन राज्यों में छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद पर वार्षिक व्यय ₹1,000 करोड़ से अधिक है, उन्हें मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में एक तकनीकी प्रकोष्ठ स्थापित करना अनिवार्य है। यह प्रकोष्ठ जिला एवं जनपद स्तरों पर अनिवार्य सहायक अभियंताओं के साथ छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के डिज़ाइन, गुणवत्ता तथा निगरानी सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा कोई पृथक से समर्पित तकनीकी प्रकोष्ठ स्थापित नहीं किया गया था। राज्य-स्तरीय सशक्त समिति ने (अप्रैल 2021) तकनीकी प्रकोष्ठ के गठन हेतु 23 पदों के सृजन का प्रस्ताव किया था। तथापि, 18 पदों[3] के सृजन का प्रस्ताव (जून 2022) में सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करने हेतु प्रेषित किया गया था, जिसकी स्वीकृति अक्टूबर 2024 तक लंबित थी। इस बीच, राज्य स्तर पर, विभाग द्वारा (मार्च 2022) ग्रामीण अभियंत्रण सेवा से एक मुख्य अभियंता को अतिरिक्त प्रभार में तथा एक अधीक्षण अभियंता को पहले से स्वीकृत पद के विरुद्ध पदस्थ किया गया था।

[3] एक मुख्य अभियंता, एक अधीक्षण अभियंता, आठ अभियंता एवं आठ अन्य कर्मचारी

भारत सरकार के बार-बार निर्देशों के बावजूद, वर्तमान में केवल दो अभियंता ही पूरे राज्य में योजना निर्माण एवं निगरानी का कार्य देख रहे हैं, जो मनरेगा के अंतर्गत प्रतिवर्ष लगभग ₹3,400 करोड़ का व्यय करते हैं। अनिवार्य तकनीकी प्रकोष्ठ की स्थापना न किए जाने से विभिन्न स्तरों पर कार्यों की गुणवत्ता एवं निगरानी प्रभावित हो सकती है।

सरकार ने कहा (जुलाई 2025) कि मुख्य अभियंता के अधीन एक तकनीकी प्रकोष्ठ कार्यरत है, जिसमें एक अधीक्षण अभियंता तथा छह तकनीकी सहायक कम की देखभाल के लिए प्रतिनियुक्त हैं।

सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अपर्याप्त मानव संसाधनों के साथ कार्यरत यह तकनीकी प्रकोष्ठ विभिन्न स्तरों पर कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी हेतु अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सका, जैसा कि आगे की कंडिका 6.5.1 में चर्चा की गई है।

3.5.2 ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के पैरा 4.1 में यह प्रावधान है कि ग्राम पंचायत स्तर पर समर्पित कर्मी, अर्थात ग्राम रोजगार सहायक की आवश्यकता होती है। इसमें यह भी कहा गया है कि राज्य यह सुनिश्चित कर सकता है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक ग्राम रोजगार सहायक तैनात किया जाए, सिवाय उन ग्राम पंचायतों के जहाँ मनरेगा के अंतर्गत कार्य की मांग लगभग नगण्य हो।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य में ग्राम रोजगार सहायक के कुल 10,862 स्वीकृत पद थे, लेकिन मार्च 2024 तक केवल 9,159 ग्राम रोजगार सहायक ही तैनात किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप स्वीकृत पदों के मुकाबले 1,703 पद (16 प्रतिशत) की कमी रही। इसी प्रकार, नमूना-जांच किये गए 12 जनपद पंचायतों में अक्टूबर 2024 तक ग्राम रोजगार सहायक के 872 स्वीकृत पदों में से 221 पद (26 प्रतिशत) रिक्त थे। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा कार्यों के निष्पादन पर ग्राम रोजगार सहायक की कम तैनाती से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यों का निष्पादन प्रभावित होगा।

सरकार ने कहा (जुलाई 2025) कि ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़ने के कारण प्रत्येक पंचायत में सक्रिय जॉब कार्डों की संख्या अनुपातिक रूप से कम हो गई है, और 33.21 लाख सक्रिय जॉब कार्डों में से प्रत्येक 393 कार्ड के लिए एक ग्राम रोजगार सहायक होने के कारण कोई कमी नहीं है।

सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ग्राम रोजगार सहायक को प्रत्येक ग्राम पंचायतों के लिए स्वीकृत पदों पर तैनात किया जाना चाहिए, न कि सक्रिय जॉब कार्डों के आधार पर।

3.6 प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुसार, राज्यों को प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण हेतु मानव संसाधन विकास एवं क्षमता निर्माण प्रभाग तथा इसके अनुरूप जिला इकाइयों की स्थापना करना आवश्यक है।

आयुक्त, मनरेगा कार्यालय में अभिलेखों की जांच (अक्टूबर 2024) की जांच से पता चला कि वर्ष 2019-24 की अवधि में नमूना-जांच किये गए छः जिलों में से किसी भी जिले में जिला मानव संसाधन विकास एवं क्षमता निर्माण इकाई की स्थापना नहीं की गई थी, जिसके कारण जिला स्तर पर कोई प्रशिक्षण योजना तैयार नहीं की गई। मनरेगा योजना के पदाधिकारियों को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राज्य में स्थापित (जुलाई 2011) पांच क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया। तथापि, मनरेगा योजना से संबंधित सभी प्रशिक्षण केवल राज्य स्तर पर, निमोरा, रायपुर में ही दिए गए थे। विवरण **तालिका 3.3** में दिया गया है।

तालिका 3.3: 2019-24 के दौरान आयोजित राज्य स्तरीय प्रशिक्षण

वर्ष	सम्मिलित हितधारक	प्रशिक्षण के लिए नामांकित प्रशिक्षुओं की संख्या	प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या	प्रशिक्षुओं की उपस्थिति में कमी (प्रतिशत)
2019-20	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2020-21	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2021-22	तकनीकी सहायक, अभियंता, प्रोग्रामर, कार्यक्रम अधिकारी/सहायक कार्यक्रम अधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ग्राम रोजगार सहायक, लेखापाल, बेयरफुट तकनीशियन, मेट्स, क्लस्टर सुविधा परियोजना तकनीकी विशेषज्ञ, आदि।	1,67,066	8,702	95
2022-23		1,09,443	269	99.86
2023-24		16,879	360	97.83
कुल		**2,93,388**	**9,331**	**96.82**

(स्रोतः छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् द्वारा प्रदान किए गए आंकड़े और लेखा परीक्षा द्वारा संकलित)

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में न तो कोई प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार किया गया था और न ही राज्य प्रशिक्षण केंद्र, निमोरा, रायपुर में कोई प्रशिक्षण दिया गया था। वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान 2,93,388 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें 97 प्रतिशत की कमी के साथ केवल 9,331 प्रशिक्षणार्थियों को ही प्रशिक्षण दिया गया था।

चयनित छः जिलों में से दो जिलों, अर्थात रायगढ़ एवं सरगुजा में क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान हैं। लेखापरीक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि वर्ष 2019-2024 की अवधि में इन संस्थानों में न तो कोई प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार किया गया था, न ही मनरेगा योजना के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

सरकार ने कहा (जुलाई 2025) कि मनरेगा कर्मचारियों को नामित संस्थानों एवं मास्टर प्रशिक्षकों के माध्यम से निरंतर तथा आवश्यकता-आधारित पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

तथ्य यह है कि जिला स्तर पर प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना नहीं की गई तथा मनरेगा के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके।

3.7 रोजगार दिवस का आयोजन

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 3.3 (i) के अनुसार, प्रत्येक ग्राम पंचायत को कार्य हेतु आवेदन, सूचना एवं संबंधित गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए महीने में कम से कम एक बार रोजगार दिवस का आयोजन करना आवश्यक था। चयनित जिलों में वर्ष 2019-24 के दौरान आयोजित रोजगार दिवसों की स्थिति **तालिका 3.4** में दी गई है।

तालिका 3.4: चयनित छः जिलों में आयोजित किये गये रोजगार दिवस

जिला	आयोजित किए जाने वाले रोजगार दिवसों की संख्या	आयोजित रोजगार दिवस की संख्या	रोजगार दिवस आयोजित किया गया (प्रतिशत)
दंतेवाड़ा	8,352	1,560	18.68
बलरामपुर	28,080	24,086	88.80
रायपुर	24,880	16,400	65.92
रायगढ़	43,584	34,296	78.69
जशपुर	26,436	15,780	59.69
सरगुजा	25,380	18,999	68.34
योग	**1,56,712**	**1,11,121**	**70.90**

(स्रोतः चयनित जिलों के जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

लेखापरीक्षा में यह उजागर हुआ कि वर्ष 2019-24 के दौरान रोजगार दिवस के आयोजन में उल्लेखनीय कमी रही। दंतेवाड़ा जिले में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान एक भी रोजगार दिवस आयोजित नहीं किया गया। नमूना-जांच किये गए जिलों में समग्र प्रदर्शन 19 प्रतिशत (दंतेवाड़ा) से 79 प्रतिशत (रायगढ़) के बीच रहा। नमूना-जांच किये गए 48 ग्राम पंचायतों में आवश्यक 2,856 रोजगार दिवसों के मुकाबले 28 से 58 प्रतिशत तक की कमी के साथ केवल 1,699 (59 प्रतिशत) रोजगार दिवस ही आयोजित हुए। इसके अतिरिक्त, रोजगार दिवसों से संबंधित अभिलेख एवं प्रतिवेदन या तो उपलब्ध नहीं थे अथवा अत्यंत खराब पाए गए।

सरकार ने कहा (जुलाई 2025) कि प्रत्येक माह की 7 तारीख को रोजगार दिवस का आयोजन योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने, रोजगार की मांग प्राप्त करने तथा श्रमिकों की समस्याओं का निराकरण करने जैसी गतिविधियाँ के लिए किया जा रहा है। रोजगार दिवस के दौरान की गई गतिविधियों के लिए एक पंजी का भी संधारण किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई कमी के दृष्टिगत, सरकार को दिशानिर्देशों में निर्धारित मानदंडो के अनुसार रोजगार दिवस का आयोजन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

अध्याय - IV

वित्तीय प्रबंधन

अध्याय - IV

वित्तीय प्रबंधन

4.1 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में वित्तपोषण

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक माँग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है। केंद्रांश की धनराशि का जारी करना सहमत (केंद्र एवं राज्य सरकार के मध्य) श्रम बजट में श्रम माँग के अनुमान पर आधारित होती है । केंद्र द्वारा धनराशि जारी करना पूर्व निर्धारित बजटीय आवंटन के आधार पर न होकर, जिलावार/राज्यवार अपेक्षित श्रम मांग प्रस्तावों पर आधारित होती है।

छत्तीसगढ़ में, राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिकों के लिए अतिरिक्त 50 दिनों की मजदूरी, मजदूरी के भुगतान में विलंब पर देय मुआवजा, बेरोजगारी भत्ता तथा राज्य रोजगार गारंटी परिषद के प्रशासनिक व्यय पर होने वाला अतिरिक्त व्यय वहन किया जाता है। वर्ष 2019-24 के दौरान चयनित छह जिलों में 60:40 का मजदूरी-सामग्री अनुपात निरंतर बनाए रखा गया, जिससे यह संकेत मिलता है कि श्रम-आधारित कार्यों को प्राथमिकता दी गई थी।

मनरेगा योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य हिस्सेदारी का अनुपात **तालिका 4.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.1: केंद्र और राज्य सरकार के बीच वित्तीय साझेदारी

घटक का विवरण	केन्द्रांश (प्रतिशत में)	राज्यांश (प्रतिशत में)
अकुशल श्रमिकों की मजदूरी	100	शून्य
कुशल एवं अर्द्ध-कुशल श्रमिकों की मजदूरी	75	25
सामग्री की लागत	75	25
बेरोजगारी भत्ता	शून्य	100
प्रशासनिक व्यय	100	राज्य रोजगार गारंटी परिषद का व्यय
अकुशल श्रमिकों के लिए अतिरिक्त 50 दिनों की मजदूरी	शून्य	100

(स्रोत: मनरेगा अधिनियम, 2005 तथा छत्तीसगढ़ शासन का राजपत्र अधिसूचना)

4.2 राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी कोष

मनरेगा अधिनियम, 2005 की धारा 21 की उपधारा (1) में कार्यान्वयन राज्य में मनरेगा के क्रियान्वयन हेतु राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना का प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा मार्च 2012 में राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना की गई।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना निधि का केंद्रांश राज्य के जिलों/पंचायतों/कार्यक्रम क्रियान्वयन एजेंसियों को निधियों के आवंटन के लिए राज्य के राज्य रोजगार गारंटी कोष में जारी किया जाता है। नियमों के अनुसार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण

रोजगार गारंटी योजना के निधियों पर अर्जित ब्याज राज्य रोजगार गारंटी कोष का ही हिस्सा होगा तथा इसका व्यय केवल भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार ही किया जाएगा।

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार वर्ष 2019-24 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता एवं किए गए व्यय की विस्तृत स्थिति, **परिशिष्ट 4.1** में दी गई है तथा इसका सारांश **तालिका 4.2** में संक्षेप में दी गई है।

तालिका 4.2: वर्ष 2019-24 के दौरान निधियों की उपलब्धता एवं किए गए व्यय

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	प्रारंभिक शेष	कुल जारी	विविध प्राप्तियाँ	निधि हंस्तान्तरण आदेश की अस्वीकृत राशि	कुल उपलब्ध राशि	कुल व्यय	अंतिम शेष
2019-20	115.47	3021.67	5.02	0.00	3142.16	2932.78	209.38
2020-21	209.38	4331.50	38.20	41.29	4537.79	4419.35	118.44
2021-22	118.44	4444.91	188.92	203.39	4548.89	3911.00	637.89
2022-23	637.89	3786.04	67.98	87.93	4403.99	3720.00	683.99
2023-24	683.99	3619.38	28.30	319.74	4011.92	3474.20	537.72
कुल	**1765.17**	**19203.50**	**328.42**	**652.35**	**20644.75**	**18457.33**	**2187.42**

(स्रोतः छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

कुल उपलब्ध निधियाँ, किए गए व्यय तथा बचत को **चार्ट 4.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.1: कुल उपलब्ध निधि, व्यय एवं बचत का विवरण

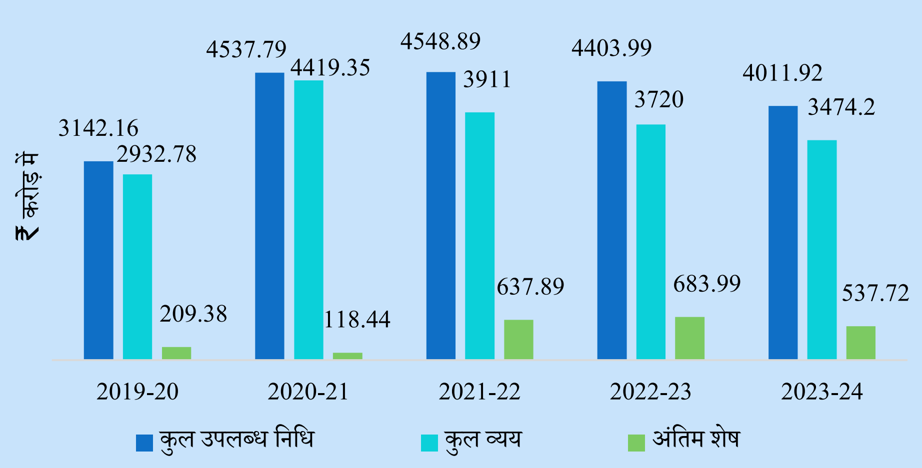

पाँच वर्षो की अवधि के दौरान, कुल उपलब्ध निधि के विरुद्ध कुल व्यय 84 से 97 प्रतिशत के बीच रहा। तथापि, वर्ष 2019-24 के दौरान स्वीकृत कुल 20.83 लाख कार्यों में से केवल (अक्टूबर 2024 तक) ₹15,514.60 करोड़ के व्यय के साथ 12.64 लाख कार्य (61 प्रतिशत) ही पूर्ण हुए थे, जबकि 3.87 लाख कार्य प्रगतिरत/अपूर्ण थे तथा 4.32 लाख कार्य प्रारंभ ही नहीं किए जा सके।

वर्ष 2019-24 के दौरान उपलब्ध ₹20,644.75 करोड़ की निधि में से, मजदूरी (₹ 13,555.58 करोड़), सामग्री (₹ 4,088.44 करोड़) तथा प्रशासनिक व्यय (₹ 813.33 करोड़) पर कुल ₹18,457.33 करोड़ का व्यय किया गया, जैसा कि **परिशिष्ट 4.1** में वर्णित है। इसके अलावा, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अंतिम शेष निधियों के कम उपयोग को दर्शाती है।

राज्य सरकार ने बताया (जुलाई 2025) कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निधियों का विलंब से आवंटन तथा पिछले वर्षों की निधियों का पूर्ण उपयोग न हो पाने के कारण अप्रयुक्त शेष राशि बनी रही, जो अंतिम शेष के रूप में परिलक्षित होती है तथा अगले वित्तीय वर्ष में प्रारंभिक शेष के रूप में ली जाती है।

4.3 प्रशासनिक व्यय से कर्मचारी भविष्य निधि में कर्मचारी अंशदान का अनियमित भुगतान

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 12.5.2 में प्रावधान है कि केंद्र सरकार कर्मचारी एवं क्षमता निर्माण प्रयासों में सहायता के लिए प्रशासनिक व्यय के रूप में राज्यों को कुल वार्षिक मनरेगा व्यय का छह प्रतिशत तक आबंटित कर सकती है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत, नियोक्ताओं सहित प्रधान नियोक्ताओं को सभी पात्र कर्मचारियों के लिए समय पर कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान सुनिश्चित करने का अधिदेश दिया गया है। नियमों का अनुपालन न होने पर दंड एवं हर्जाना देना पड़ता है जैसा कि कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त द्वारा आकलन किया गया हो। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कर्मचारी भी अप्रैल 2015 से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अधिनियम के दायरे में आते हैं।

छत्तीसगढ़ शासन ने निर्देश दिया (मई 2020) कि अप्रैल 2015 से जून 2018 तक के कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान का आकलन कर्मचारी के पात्रता के आधार पर किया जाए, विशेषकर ₹ 15,000 प्रतिमाह से कम कमाने वालों के लिए, जिन्हें नियोक्ता योगदान एवं प्रशासनिक शुल्क के साथ अपने वेतन का 12% अंशदान देना होगा। निर्देश में यह भी कहा गया कि कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का अंशदान नियमित रूप से जमा किया जाए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 28 जिलों में, अप्रैल 2015 से मार्च 2023 तक के लिए ₹ 29.62 करोड़ का कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान का भुगतान नहीं किया गया। वैधानिक बकाया राशि के जमा न किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 84.59 करोड़ की देनदारियाँ संचित हो गईं, जिनमें से ₹ 54.96 करोड़ कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत जुर्माना, ब्याज तथा क्षतिपूर्ति की थीं। जुर्माना की समस्या को हल करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने ₹ 40 करोड़ स्वीकृत किए और इसे आयुक्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद के निपटान में रखा। विभाग कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम का पालन सुनिश्चित करने में विफल रहा, जिससे राज्य सरकार पर देनदारियाँ उत्पन्न हुई।

आगे देखा गया कि अप्रैल 2015 से जून 2018 तक की अवधि के लिए ₹ 74.72 लाख का

कर्मचारी भुगतान[1] सात कार्यालयों द्वारा संबंधित कर्मचारियों के वेतन से कटौती करने के बजाय प्रशासनिक व्यय मद से अनियमित रूप से भुगतान किया गया।

इस पर सरकार ने कहा (जुलाई 2025) कि स्वीकृत ₹ 40 करोड़ की पूरी राशि बाद में सभी 30 जिला कार्यालयों को जारी कर दी गई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन और कर्मचारी भविष्य निधि के जमा में विलंब, भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक मद में निधियों के विलंब से प्राप्त होने से हुआ, जिसके कारण दंड और ब्याज उत्पन्न हुई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि राशि जारी होने के बावजूद ₹ 14.96 करोड़ ब्याज और दंड के रूप में भुगतान योग्य बनी हुई थी। भारत सरकार द्वारा धन आवंटन में देरी राज्य को कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान का समय पर प्रेषण सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी से छूट नहीं देती है।

4.4 मजदूरी भुगतान में विलंब पर देय मुआवजा का भुगतान न होना

मनरेगा अधिनियम, 2005 की धारा 3(3) के अनुसार, मजदूरों को मस्टर रोल बंद होने के 15 दिन के भीतर उनकी मजदूरी का भुगतान कर दिया जाना चाहिए, और इस अवधि के बाद कोई भी विलंब पर उन्हें अवैतनिक मजदूरी का 0.05 प्रतिशत प्रतिदिन के दर से मुआवजे का हकदार बनाता है। वार्षिक मास्टर परिपत्र में उल्लेखित अनुसार, इस मुआवजा का भुगतान राज्य रोजगार गारंटी कोष से अग्रिम रूप से किया जाना चाहिए, देय होने के 15 दिन के भीतर निपटाया जाना चाहिए और इसे मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया के अनुरूप संसाधित किया जाना चाहिए, जिसमें कार्यक्रम अधिकारी द्वारा नरेगासॉफ्ट में विधिवत दर्ज की गई कोई भी अस्वीकृति शामिल है।

इसके अलावा, परिचालन दिशानिर्देश के अनुच्छेद 8.8 के अनुसार, विलंबित मजदूरी के साथ मुआवजे का भुगतान स्वतः किया जाना चाहिए और पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इसे सूचना प्रबंधन प्रणाली (आर-14.1) में किया जाना आवश्यक है।

वर्ष 2019-24 के दौरान मजदूरी भुगतान में विलंब पर देय मुआवजे की स्थिति **तालिका 4.3** में दी गई है।

[1] आयुक्त (₹ 11,89,110), जिला परियोजना समन्वयक : बलरामपुर(₹ 7,52,894), दंतेवाड़ा (₹ 4,45,664), रायपुर(₹ 5,17,491), सरगुजा(₹3,87,017), कार्यक्रम अधिकारी : दंतेवाड़ा (₹ 13,24,747), धरसीवा(₹ 11,05,855), तिल्दा(₹ 17,49,257)

तालिका 4.3: मजदूरी भुगतान में विलंब पर देय मुआवजे की स्थिति

वर्ष	विलंबित देय मुआवजा			स्वीकृत एवं भुगतान की गई राशि (₹ में)		कुल अस्वीकृत मानव दिवस (करोड़ में)
	मानव दिवस (करोड़ में)	देय राशि (₹ करोड़ में)	सत्यापन हेतु शेष राशि (₹ करोड़ में)	स्वीकृत राशि	भुगतान की गई राशि	देय मानव दिवस का प्रतिशत
2019-20	6.40	2.82	0.11	362	254	6.12 (96)
2020-21	14.18	6.90	2.28	729	0	9.30 (66)
2021-22	13.72	6.79	2.12	29551	1676	9.27 (68)
2022-23	17.95	8.45	2.65	6194	5650	11.82 (66)
2023-24	0.01	0.01	-	97	97	0.01(91)[2]
कुल	**52.26**	**24.97**	**7.16**	**36933**	**7677**	**36.52 (70)**

(स्रोतः नरेगासॉफ्ट के सूचना प्रबंधन प्रणाली के आंकड़े)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-24 की अवधि के दौरान सूचना प्रबंधन प्रणाली में विलंबित मजदूरी भुगतान के लिए मुआवजे के दावों की एक बड़ी संख्या (66 से 91 प्रतिशत) को नरेगासॉफ्ट में प्राकृतिक आपदाओं अथवा "मुआवजा देय नहीं" जैसे कारण दर्शाते हुए बिना किसी औचित्य या सहायक दस्तावेज उपलब्ध कराए अस्वीकार कर दिया गया। कुल देय मुआवजा ₹ 24.97 करोड़ के विरुद्ध केवल ₹ 7,677 का भुगतान किया गया, ₹ 7.16 करोड़ का दावा असत्यापित रहा, जबकि वर्ष 2019-24 के दौरान ₹ 1.75 करोड़ का बजटीय प्रावधान उपयोग न होने के कारण व्यपगत हो गया।

चयनित छह जिला पंचायतों में ₹ 5.75 करोड़ का मुआवजा देय था, पर केवल ₹ 254 का भुगतान हुआ। इसी प्रकार, नमूना जांच किये गए 12 जनपद पंचायतों में ₹ 1.99 करोड़ का मुआवजा बिना किसी दस्तावेज़ी प्रमाण के अस्वीकृत कर दिया गया एवं 48 ग्राम पंचायतों में ₹ 13.07 लाख का मुआवजा देय था, लेकिन सभी विलंब दिनों को बिना औचित्य अस्वीकृत कर दिया गया। इस प्रकार, विलंबित मजदूरी भुगतान के लिए मुआवजे के दावे को उचित औचित्य के बिना अस्वीकृत कर दिया गया था।

सरकार ने कहा (जुलाई 2025) कि मजदूरी भुगतान में विलंब, भारत सरकार से निधियों के देर से प्राप्त होने के कारण हुआ। इसके अलावा, नरेगासॉफ्ट में मुआवजा भत्ता भुगतान के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि पात्र श्रमिकों को मजदूरी भुगतान में विलंब होने पर मुआवजा सूचना प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से स्वतः ही किया जाना था। निधि प्राप्ति में विलंब तथा सॉफ्टवेयर में प्रावधान का अभाव, बिना किसी औचित्य एवं सहायक अभिलेखों के दावों को अस्वीकार करने या सत्यापन न करने को न्यायसंगत नहीं ठहराती है।

---

[2] (141878/155088) * 100 = 91 प्रतिशत

अध्याय - V

रोजगार सृजन

अध्याय-V

रोजगार सृजन

5.1 रोजगार प्रदान करना

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 की अनुच्छेद 3.2 में यह निर्धारित किया गया है कि एक पंजीकृत ग्रामीण परिवार का प्रत्येक वयस्क सदस्य, जिसका नाम जॉब कार्ड में दर्ज है, अकुशल शारीरिक कार्य के लिए आवेदन करने का पात्र है। किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा आवेदन किए जाने वाले रोजगार के दिनों की संख्या या उसे प्रदान किए गए रोजगार के दिनों की संख्या पर कोई ऊपरी सीमा नहीं होगी, जो एक वित्तीय वर्ष में प्रति परिवार न्यूनतम 150 दिनों के प्रावधान के अधीन होगी।

5.1.1 मनरेगा योजना में महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की भागीदारी

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 की अनुच्छेद 3.4(x) में यह निर्धारित है कि रोजगार प्रदान करते समय महिलाओं को इस तरह से प्राथमिकता दी जाएगी, कम से कम एक-तिहाई (33 प्रतिशत) लाभार्थी ऐसी महिलाएं होंगी जिन्होंने योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराया है और कार्य की मांग की है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मनरेगा के अंतर्गत नमूना जांच किये गए छः जिलों में, महिला श्रमिकों ने कुल मानव दिवसों का 43 प्रतिशत (सरगुजा) से 59 प्रतिशत (रायपुर) के बीच सृजन किया, जो अनिवार्य 33 प्रतिशत भागीदारी दर से अधिक था। चुने गए 12 जनपद पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी 42 से 73 प्रतिशत तक थी जबकि चुने गए 48 ग्राम पंचायतों में यह 32 से 79 प्रतिशत के बीच रही। यह लगातार और पर्याप्त भागीदारी राज्य में सभी स्तरों पर योजना में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को दर्शाती है। इसके अलावा, मानव-दिवस के सृजन में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति समुदायों का प्रतिनिधित्व नमूना जांच वाले जिलों में उनकी आबादी के अनुपात में था, जिसमें दंतेवाड़ा (84 प्रतिशत), बलरामपुर (59 प्रतिशत), और सरगुजा (63 प्रतिशत) जैसे जिले मजबूत भागीदारी दिखाते हैं। रायपुर (28 प्रतिशत) में भी, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की भागीदारी उनके जनसांख्यिकीय हिस्से के बराबर थी, जो रोजगार कार्यक्रम के संतुलित और समावेशी कार्यान्वयन को दर्शाता है।

5.2 मनरेगा के अंतर्गत रोजगार की मांग

काम के लिए आवेदन आम तौर पर ग्राम पंचायत को लिखित रूप में प्रस्तुत किए जाने चाहिए, जिसमें जॉब कार्ड की पंजीकरण संख्या, रोजगार की आवश्यकता की तिथि और आवश्यक रोजगार के दिनों की संख्या का उल्लेख होना चाहिए।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि राज्य, जिला और जनपद पंचायत स्तरों पर सूचना प्रबंधन प्रणाली में रोजगार की मांग का समेकित डेटा उपलब्ध नहीं था, यद्यपि ऐसा डेटा 'नरेगासॉफ्ट' में दर्ज किया जा रहा था। वर्ष 2021-24 की अवधि के दौरान 48 चयनित ग्राम पंचायतों में से 43 ग्राम पंचायतों में, सूचना प्रबंधन प्रणाली में कुल 25.90 लाख मानव-दिवसों के लिए 50,864 श्रमिकों से रोजगार की मांग दर्ज किए गए। इस मांग के विपरीत, वास्तव में केवल 17.14 लाख मानव-दिवस प्रदान किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप 8.76 लाख मानव-दिवस की कमी हुई। यह कमी इंगित करती है कि ग्राम पंचायतें योजना के तहत अनिवार्य रोजगार की मांग को पूरा करने में असमर्थ थे।

इसके अतिरिक्त, 48 ग्राम पंचायतों में मांग पंजी में महत्वपूर्ण कमियां देखी गई। पंजियों का रखरखाव अधूरा और अनियमित था, जिसमें प्रमुख विवरण जैसे कि मांगे गए कार्य दिवसों की संख्या और मांग का दिनांक या तो गायब था या दर्ज नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा राज्य, जिला और जनपद स्तरों पर समग्र रोजगार मांग का आंकलन नहीं कर सकी क्योंकि समेकित सूचना प्रबंधन प्रणाली प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं थी और मैनुअल मांग पंजियों के रखरखाव में कमी थी या अनुचित रखरखाव था, जैसा कि अधिनियम के प्रावधानों में परिकल्पित था। अभिलेख संधारण में यह कमी योजना के तहत मांग आधारित रोजगार सृजन की पारदर्शिता और जवाबदेही को कमजोर करती है।

इंगित किये जाने पर आयुक्त, छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद ने कहा (नवंबर 2024) कि राज्य स्तर पर रोजगार की मांग सूचना प्रबंधन प्रणाली में उपलब्ध नहीं थी।

5.2.1 न्यूनतम रोजगार दिवस प्रदान करने में कमी

वर्ष 2019-24 के दौरान चिन्हित परिवारों को प्रदान किए गए रोजगार के दिनों की विस्तृत विवरण **तालिका 5.1** में दी गई है।

तालिका 5.1: राज्य में परिवारों को प्रदान किया गया रोजगार

(आंकड़े लाख में)

वर्ष	कुल सक्रिय जॉब कार्ड/परिवारों की संख्या[1]	कुल नियोजित परिवार	परिवारों को कितने दिनों के लिए नियोजित किया गया			
			50 दिनों तक	51 से 99 दिन	100 दिन	100 दिनों से अधिक
2019-20	31.98	24.45	13.17	7.10	0.23	3.95
2020-21	35.15	30.60	15.19	9.29	0.23	5.89
2021-22	34.82	28.54	14.53	8.46	0.31	5.24
2022-23	31.91	25.74	14.87	7.36	0.26	3.25
2023-24	32.48	24.77	14.47	6.87	0.20	3.23

(स्रोतः सूचना प्रबंधन प्रणाली)

प्रदान किए गए रोजगार की स्थिति को **चार्ट 5.1** में दर्शाया गया है।

[1] सक्रिय जॉब कार्ड : परिवारों का कोई भी व्यक्ति जिसने पिछले तीन वित्तीय वर्षों या चालू वित्तीय वर्ष में किसी भी एक दिन काम किया है।

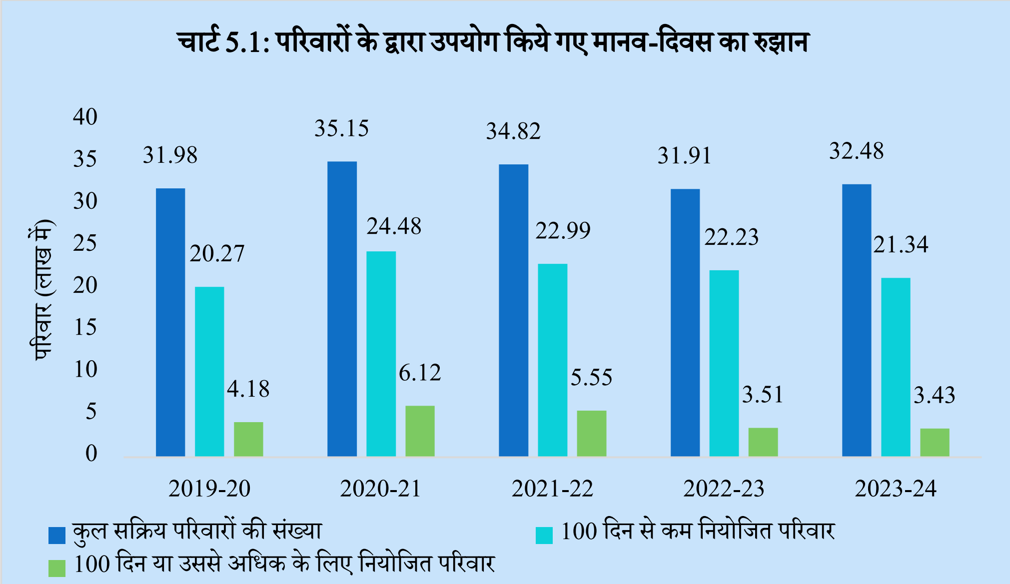

वर्ष 2019-24 की अवधि के दौरान, 2020-21 में मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान करने वाले परिवारों की संख्या उच्चतम थी, जब 31 लाख परिवारों को रोजगार मिला था। यह पांच साल की अवधि में सबसे अधिक था और संभवतः कोविड-19 महामारी के दौरान मजदूरी रोजगार की बढ़ी हुई मांग के कारण थी। यद्यपि, इसके बाद गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई, जिसमें वर्ष 2023-24 में केवल 24.77 लाख परिवारों को रोजगार मिला जिससे यह भी पता चलता है कि अधिकांश परिवारों (54 प्रतिशत) को लगातार सालाना 50 दिन या उससे कम रोजगार प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त, 2019-24 के दौरान 21.56 लाख परिवारों को 100 दिन से ज्यादा रोजगार दिया गया, जबकि 1.23 लाख परिवार पूरे 100 दिन का रोजगार पा सके, जो योजना के निर्धारित कवरेज में बड़ी कमी और महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को कार्यान्वयन में असमानता को दर्शाता है।

सरकार ने कहा (जुलाई 2025) कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत, प्रत्येक परिवार मांग करने पर 100 दिनों के रोजगार का हकदार है। यह भी सूचित किया गया कि राज्य में प्रति परिवार अधिकतम 150 दिनों तक रोजगार प्रदान किया जा रहा है और वास्तविक औसत 51 से 60 दिनों के बीच है।

उत्तर इस बात की पुष्टि करता है कि मांग करने पर प्रति परिवार 100 दिनों के रोजगार की आवश्यकता के विरुद्ध केवल 51 से 60 दिनों का औसत रोजगार प्रदान किया गया था। इसके अतिरिक्त, आंकड़े स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि केवल परिवारों का एक छोटा सा हिस्सा 100 दिनों के पूर्ण रोजगार का लाभ उठा सका, जिसमें अधिकांश को सालाना 50 दिनों से कम समय का रोजगार मिलता है। इसलिए, मनरेगा के तहत परिकल्पित कार्यान्वयन से सतत रोजगार सृजन नहीं हुआ।

5.2.2 चयनित जिलों द्वारा मानव-दिवस में सृजित रोजगार

जिला कार्यक्रम समन्वयक को यह सुनिश्चित करना होता है कि जिले की प्रत्येक ग्राम सभा द्वारा चयनित परियोजनाओं की स्वीकृति में कार्य योजना के नियोजन से अनुमोदन तक बॉटम-अप दृष्टिकोण के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन किया जाय। वर्ष 2019-24 के दौरान छः नमूना जांच

वाले जिलों में अनुमानित मानव-दिवसों और सृजित मानव-दिवसों का विवरण **तालिका 5.2** में दिया गया है।

तालिका 5.2: छः नमूना जांच किए गए जिलों में अनुमानित और सृजित मानव-दिवस

जिला	2011 तक ग्रामीण जनसंख्या (लाख में)	सृजित मानव दिवस (लाख में)	कुल व्यय (करोड़ में)	निष्पादित कार्यों की संख्या
बलरामपुर	6.96	215.22	654.40	38636
दंतेवाड़ा	4.37	93.95	245.22	24997
जशपुर	7.76	300.40	816.08	66961
रायगढ़	12.48	265.33	762.09	73268
रायपुर	25.81	372.94	923.57	22968
सुरगुजा	21.17	199.84	504.88	50111
कुल		**1447.68**	**3906.24**	**276941**

चार्ट 5.2: सृजित मानव दिवस, कुल व्यय एवं निष्पादित कार्यों की स्थिति

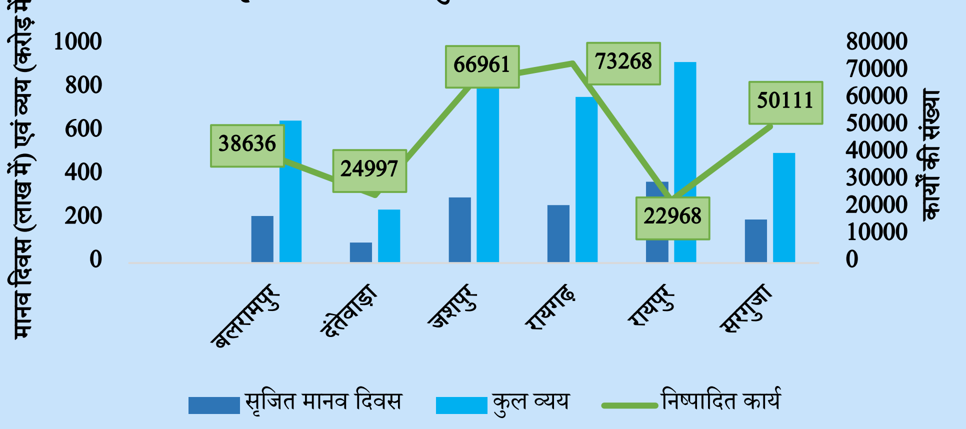

वर्ष 2019-24 के दौरान सृजित मानव-दिवस, कुल व्यय और निष्पादित कार्यों की संख्या के आधार पर चयनित जिलों के प्रदर्शन से पता चला कि रायपुर जिले ने सर्वाधिक 373 लाख मानव-दिवस सृजित किये तथा सबसे अधिक ₹ 924 करोड़ का व्यय दर्ज किया, यद्यपि इसने अन्य जिले की तुलना में कम कार्य (22,968) निष्पादित किए। जशपुर और रायगढ क्रमशः 300 लाख और 265 लाख मानव-दिवस के साथ क्रमशः 66,961 और 73,268 कार्यों को निष्पादित किया। बलरामपुर और सरगुजा ने सामान्य मानव-दिवसों का सृजन किया (क्रमशः 215 लाख और 200 लाख) जिसमें बलरामपुर में 38,636 कार्य तथा सरगुजा में 50,111 कार्य निष्पादित किए गए। दंतेवाड़ा में सबसे कम 94 लाख मानव-दिवस, ₹ 245 करोड़ व्यय और 24,997 कार्यों निष्पादित किये गए। कुल मिलाकर चयनित जिलों में 2,76,941 कार्यों को निष्पादित करने पर 3,906 करोड़ रुपये व्यय हुए एवं कुल 14.47 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए।

सरकार ने कहा (जुलाई 2025) कि जिलों द्वारा सृजित मानव-दिवसों और किए गए व्यय में भिन्नता पंजीकृत परिवारों की संख्या और उनकी रोजगार मांग के अनुसार थी।

5.3 बेरोजगारी भत्तों का भुगतान न किया जाना

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 3.5 के अनुसार, यदि आवेदन के 15 दिनों के अन्दर रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है, तो आवेदक पहले तीस दिनों के लिए मजदूरी दर के एक-चौथाई के बराबर एवं फिर शेष अवधि के लिए मजदूरी दर का आधा दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। अधिनियम की धारा 8 (3) के अनुसार राज्य सरकार को इस भत्ते का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करती है।

इसे लागू करने के लिए, छत्तीसगढ़ शासन ने मनरेगा बेरोजगारी भत्ता नियम, 2013 को अधिसूचित किया। कार्यक्रम अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर ऐसे मुआवजे के भुगतान पर निर्णय लेना होता है, किसी भी अस्वीकृति के कारणों को एक साथ नरेगासॉफ्ट में दर्ज करना होता है तथा स्वीकृत मुआवजे को राशि अंतरण आदेश के माध्यम से मजदूरी के साथ संसाधित कर भुगतान सुनिश्चित करना होता है।

राज्य स्तर पर काम की मांग और प्रति परिवार प्रदान किए गए रोजगार की संक्षिप्त स्थिति **तालिका 5.3** में दी गई है।

तालिका 5.3: मांग के विरुद्ध रोजगार की कमी

(₹ लाख में)

वर्ष	काम की मांग करने वाले परिवारों की संख्या	काम प्रदान किये गए परिवारों की संख्या	मांग के विरुद्ध कमी	भत्ते के लिए पात्र परिवारों की संख्या
2019-20	29.03	24.45	4.58	जानकारी न तो सूचना प्रबंधन प्रणाली में जानकारी उपलब्ध थी और न ही विभाग द्वारा प्रदान की गई थी।
2020-21	34.53	30.60	3.93	
2021-22	31.90	28.54	3.36	
2022-23	29.30	25.74	3.56	
2023-24	27.60	24.77	2.83	
कुल	**152.36**	**134.10**	**18.26**	

(स्रोतः सूचना प्रबंधन प्रणाली के आंकड़े)

वर्ष 2019-24 के दौरान, 152.36 लाख परिवारों ने मनरेगा के तहत रोजगार की मांग की, जिसके विरुद्ध 134.10 लाख परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया, इस प्रकार 18.26 लाख परिवारों को रोजगार प्रदान नहीं किया गया, जो परिवारों को रोजगार प्रदान करने में महत्वपूर्ण कमी को दर्शाता है। यद्यपि, इन परिवारों को कोई बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया था। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने 2019-24 के दौरान बेरोजगारी भत्ते के लिए राशि ₹ 2.22 करोड़ के बजटीय प्रावधान किए थे, लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया था और पूरी राशि समर्पित कर दी गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सूचना प्रबंधन प्रणाली प्रतिवेदन में सभी जिलों के लिए देय बेरोजगारी भत्ता, भुगतान और देय को शून्य के रूप में दर्ज किया गया था। यद्यपि, बेरोजगारी भत्तों पर विस्तृत जानकारी सूचना प्रबंधन प्रणाली (नरेगासॉफ्ट) में ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध थी। नमूना जांच किए गए 48 ग्राम पंचायतों का विवरण **तालिका 5.4** में दिया गया है।

तालिका 5.4: चयनित ग्राम पंचायतों में श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता का भुगतान न किया जाना

(₹ लाख में)

वर्ष	बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र श्रमिकों की संख्या	पात्र बेरोजगारी दिवस	बेरोजगारी भत्ता देय लेकिन भुगतान नहीं किया गया
2019-20	1993	15504	13.64
2020-21	3085	19408	18.44
2021-22	1694	10169	9.81
2022-23	1482	9004	9.18
2023.24	673	4120	4.55
कुल	8927	58205	55.62

(स्रोतः पंचायत लॉगिन पर सूचना प्रबंधन प्रणाली के आंकड़े)

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि नमूना-जांच किए गए ग्राम पंचायतों में, 8,927 श्रमिकों को राशि ₹ 55.62 लाख की बेरोजगारी भत्ते देय थे, लेकिन कोई राशि वितरित नहीं की गई थी। पूरे राज्य के लिए देय बेरोजगारी भत्ते के कुल आंकड़ों की गणना नहीं की जा सकी क्योंकि जनपद पंचायत, जिला पंचायत और राज्य स्तर की सूचना प्रबंधन प्रणाली में बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र परिवारों की संख्या का आंकड़ा उपलब्ध नहीं था। अनुचित और अपर्याप्त आंकड़ा प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी को इंगित करता है।

सरकार ने कहा (जुलाई 2025) कि बेरोजगारी भत्ता देय नहीं है यदि मजदूर कार्य के लिए रिपोर्ट नहीं करता है, पहले से ही 100 दिन का काम पूरा कर चुका है, या यदि प्राकृतिक आपदाओं या कानून और व्यवस्था के मुद्दों के कारण रोजगार संभव नहीं था, तथा बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र परिवारों की संख्या शून्य थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ग्राम पंचायत स्तर पर सूचना प्रबंधन प्रणाली डेटाबेस स्पष्ट रूप से उन बेरोजगारी के दिनों को दर्ज करता है जो मुआवजे के लिए पात्र थे। तथापि बेरोजगारी भत्ते के भुगतान से बचने के लिए किसी विशिष्ट कारण को दर्ज किए बिना सभी मामलों को अपात्र मान लिया गया और पात्र लाभार्थियों को उनके अधिकारों से वंचित किया गया।

अध्याय - VI

कार्यों का निष्पादन

अध्याय-VI

कार्यों का निष्पादन

6.1 मनरेगा के अंतर्गत कार्यों का निष्पादन

मनरेगा ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को मांग के आधार पर परिसम्पतियों के सृजन हेतु एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के रोजगार के लिए कानूनी गारंटी प्रदान करता है।

वर्ष 2019-24 के दौरान मनरेगा के तहत कार्यों की स्थिति **तालिका 6.1** में दी गई है।

तालिका 6.1: 2019-24 के दौरान कार्य की स्थिति (अक्टूबर 2024 तक)

वर्ष	पूर्ण कार्य	पूर्ण कार्यों पर व्यय (₹ करोड़ में)	प्रगतिरत/स्थगित (अपूर्ण) कार्यों की संख्या।	स्वीकृत लेकिन अभी तक अप्रारम्भ कार्य
2019-20	381706	2680.49	347559	130963
2020-21	237117	3674.70	353273	180264
2021-22	214363	3512.40	314657	225987
2022-23	180786	2955.07	312823	311497
2023-24	249603	2691.94	387588	432506
कुल	**1263575**	**15514.60**		

(स्रोतः अक्टूबर 2024 तक का डाउनलोड किया गया सूचना प्रबंधन प्रणाली प्रतिवेदन (आर 6.1) से संकलित आंकड़े)

लेखापरीक्षा ने 2019-24 की अवधि के सूचना प्रबंधन प्रणाली के आंकड़ो से पाया कि कुल 20.83[1] लाख स्वीकृत/अनुमोदित कार्यों में से ₹ 15,514.60 करोड़ रुपयों के व्यय के साथ केवल 12.64 लाख कार्य (61 प्रतिशत) ही पूर्ण किये गए, जबकि 3.87 लाख कार्य प्रगति पर/अपूर्ण थे और 4.32 कार्य प्रारम्भ ही नही हो सके (अक्टूबर 2024 की स्थिति के अनुसार)। अधूरे कार्यों का मुख्य कारण स्थल विवाद, स्थल में परिवर्तन एवं लाभार्थियों की अनिच्छा एवं ग्राम सभा के प्रस्ताव/अनुमोदन के बिना कार्यों की मंजूरी देना था। अपूर्ण और अप्रारम्भ कार्यों का उच्च अनुपात योजना, निष्पादन और निगरानी तंत्र में कमियों को दर्शाता है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019-24 के दौरान अनुमोदित/स्वीकृत किये गए कुल कार्यों की वर्षवार जानकारी न तो सूचना प्रबंधन प्रणाली में उपलब्ध थी और न ही विभाग द्वारा प्रदान की गई थी, जिससे योजना के तहत क्रियान्वयन की दक्षता तथा संसाधनों के उपयोग में दक्षता का आकलन करने में लेखापरीक्षा सीमित रह गई।

[1] स्वीकृत कार्य = 20.83 लाख {पूर्ण कार्य (2019-24) = 12.64 लाख + 2023-24 तक प्रगतिरत कार्य = 3.87 लाख + 2023-24 तक अप्रारम्भ कार्य = 4.32 लाख}

6.2 नमूना जांच किए गए जिलों में अपूर्ण और परित्यक्त कार्यों की स्थिति

अपूर्ण और परित्यक्त कार्यों ने संबंधित वर्षों के श्रम बजट में स्वीकृत मानव-दिवसों की उपलब्धि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। छः नमूना-जांच किए गए जिलों में वर्ष 2019-24 के दौरान अपूर्ण और अप्रारम्भ कार्यों का विवरण **तालिका 6.2** में दिया गया है।

तालिका 6.2: नमूना-जांच किए गए जिलों में अपूर्ण कार्यों की स्थिति

जांच किए गए जिले का नाम	अपूर्ण कार्यों की संख्या (2019-24)	प्रारम्भ किए गए लेकिन अधूरे कार्य (मार्च 2025 तक)			अधूरे कार्यों पर व्यय (₹ करोड़ में)	बंद/परित्यक्त कार्यों की संख्या	अप्रारम्भ कार्यों की संख्या	पूर्ण हुए कार्य
		2019-20	2020-21	2021-22				
बलरामपुर	5459	120	439	437	122.29	157	13054	33177
दंतेवाड़ा	3717	112	520	236	55.5	1260	11988	21280
जशपुर	7288	420	625	780	117.65	107	3377	59673
रायगढ़	6078	627	877	985	91.03	826	11310	67190
रायपुर	5286	590	621	627	148.28	1466	9425	17682
सरगुजा	5478	686	525	433	63.05	541	17143	44633
कुल	**33306**	**2555**	**3607**	**3498**	**597.80**	**4357**	**66297**	**243635**

(स्रोतः सूचना प्रबंधन प्रणाली प्रतिवेदन से संकलित आंकड़े)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2019-22 के दौरान 3,47,595[2] कार्य स्वीकृत किए गए थे, लेकिन केवल 2,43,635 कार्य पूर्ण किए जा सके, और 33,306 कार्य अधूरे रहे। इसके अतिरिक्त, 4,357 कार्यों को इच्छित परिसंपत्तियों के निर्माण के बिना अधूरा छोड़ दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 33.31 लाख का निष्फल व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, 66,297 कार्य प्रारम्भ नहीं किए जा सके जिससे रोजगार का सृजन नहीं हो सका। मार्च 2025 तक, कुल 2,555 कार्य (2019-20 में प्रारम्भ), 3,607 कार्य (2020-21 में प्रारम्भ) एवं 3,498 कार्य (2021-22 में प्रारम्भ) दो से तीन साल बीत जाने के बाद भी अधूरे रहे। अधूरे/अप्रारंभ कार्यों के मुख्य कारण स्थल विवाद, स्थलों में परिवर्तन और धन की उपलब्धता का अभाव आदि थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2019-24 के दौरान, छः नमूना जांच किए गए जिलों में परिवारों को प्रदान किया गया औसत रोजगार 51 से 66 दिनों के मध्य था। कार्यों को निष्पादित करने में विफलता के कारण अपेक्षित परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं हो सका और इससे मनरेगा में परिकल्पित रूप से 100 दिनों की रोजगार गारंटी प्रदान करने की योजना लक्ष्य प्रभावित हो सकती है।

सरकार ने कहा (जुलाई 2025) कि निष्पादन प्रारम्भ होने के बाद अनुमोदित कार्य प्रगतिरत कार्यों में स्थानांतरित हो जाते हैं। कार्य मुख्य रूप से भौतिक रूप से पूरे किए गए कार्यों के लिए लंबित सामग्री भुगतान, रखरखाव के तहत वृक्षारोपण कार्य, स्थल परिवर्तन, भूमि विवाद, मौसम की

[2] स्वीकृत/अनुमोदित कार्य = पूर्ण (243635) + अपूर्ण (33306) + अप्रारम्भ (66297) + परित्यक्त (4357) = 347595

स्थिति और लाभार्थियों की अनिच्छा के कारण अधूरे रहे। निगरानी विभिन्न स्तरों पर की जाती है, लेकिन योजना मांग-आधारित है, इसे पूरा करना ग्राम पंचायत में अकुशल श्रमिकों की भागीदारी और इच्छा पर काफी हद तक निर्भर करता है।

6.3 अभिसरण कार्यों की स्थिति

मनरेगा योजना के साथ अभिसरण के लिए चिन्हित परियोजनाओं पर परियोजना क्षेत्र में स्थित ग्राम सभा में चर्चा की जानी चाहिए। मनरेगा योजना के तहत निष्पादन के लिए पहचाने गए गतिविधियों को कार्यों की वार्षिक सूची में शामिल किया जाना चाहिए और वे श्रम बजट का हिस्सा होंगे। चयनित जिलों में अभिसरण कार्यों की स्थिति **तालिका 6.3** में दी गई है।

तालिका 6.3: चयनित जिलों में अभिसरण कार्य की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अभिसरण के तहत स्वीकृत कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों की संख्या।	प्रगतिरत कार्यों की संख्या	अप्रारम्भ कार्य	अभिसरण के तहत कुल व्यय
2019-20	97415	55808	38151	3456	108.99
2020-21	56693	24727	26333	5633	121.22
2021-22	41722	15193	19063	7466	119.99
2022-23	38629	11230	17460	9939	125.61
2023-24	65702	15624	39204	10874	166.56
कुल	**300161**	**122582**	**140211**	**37368**	**642.37**

(स्रोतः सूचना प्रबंधन प्रणाली के आंकड़े)

वर्ष 2019-24 के दौरान, चयनित छः जिलों में मनरेगा योजना के अंतर्गत जल संसाधन विकास, लोक निर्माण, कृषि, उद्यानिकी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाओं, वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास आदि जैसे संबंधित विभागों के साथ अभिसरण में तीन लाख कार्यों को स्वीकृति दी गई थी। तथापि, 1.22 लाख (40 प्रतिशत) कार्य पूरे किए गए थे, जबकि 1.40 लाख कार्य प्रगतिरत थे और 37,368 कार्य संबंधित विभागों द्वारा अक्टूबर 2025 तक प्रारम्भ नहीं किए जा सके थे।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि चयनित ग्राम पंचायतों में 336 कार्यों में से 94 कार्य अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण में निष्पादित किए गए थे, जिनमें से 88 कार्य (94 प्रतिशत) वार्षिक कार्य योजना में शामिल किए बिना और संबंधित ग्राम पंचायत से अनुमोदन प्राप्त किए बिना किए गए थे। यह योजना मानदंडों से विचलन और कमजोर अंतर-विभागीय समन्वय को इंगित करता है।

सरकार ने कहा (जुलाई 2025) कि चूंकि मनरेगा मांग-आधारित है, भारत सरकार और राज्य सरकारों की प्राथमिकता के तहत कुछ कार्य वर्ष के मध्य में प्रारम्भ किए जाते हैं और उन्हें कार्योत्तर, स्वीकृति प्रदान की जाती है। ग्राम पंचायत की प्राथमिकताओं में हुए परिवर्तन का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बाद में ग्राम सभा स्वीकृतियों के माध्यम से नियमित किया जाता है।

उत्तर वार्षिक कार्य योजना में शामिल किए बिना अभिसरण कार्यो को निष्पादन की पुष्टि करता है तथा ग्राम सभा के पूर्व अनुमोदन की अनुपस्थिति निर्धारित योजना प्रक्रिया से विचलन को दर्शाती है।

6.4 क्लस्टर सुविधा परियोजना का निष्पादन

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने दिसंबर 2019 में क्लस्टर सुविधा परियोजना के लिए एक दिशानिर्देश जारी किया था, जिसका उद्देश्य बेहतर समन्वय, योजना और कार्यान्वयन के माध्यम से मनरेगा के साथ अभिसरण में केंद्र/राज्य सरकारों की विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों के तालमेल का लाभ उठाने की रणनीति के साथ 117 आकांक्षी जिलों/पिछड़े क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन करना था। क्लस्टर सुविधा परियोजना की पूरी लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जानी थी। छत्तीसगढ़ में, भारत सरकार ने अप्रैल 2020[3] से क्लस्टर सुविधा परियोजना कार्यान्वयन के लिए 11 आकांक्षी और पिछड़े जिलों को शामिल करते हुए कुल 26 जनपदों की पहचान की थी।

6.4.1 छत्तीसगढ़ में क्लस्टर सुविधा परियोजना के संचालन में देरी

क्लस्टर सुविधा परियोजना दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 17 के अनुसार, क्लस्टर सुविधा परियोजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2023 तक होनी थी और परियोजना को समय पर प्रारम्भ करने के लिए भर्ती, उपकरण क्रय जैसे प्रारंभिक कार्य तुरंत प्रारम्भ किए जाने थे। परियोजना को मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया था। यद्यपि भारत सरकार द्वारा ₹ 2.30 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई थी (दिसंबर 2020), लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धन का उपयोग वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान नहीं किया जा सका। क्लस्टर सुविधा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए, एक मानव संसाधन एजेंसी, अर्थात मेसर्स टी एंड एम सर्विसेज कंसलिंटग प्राइवेट लिमिटेड को अगस्त 2021 में नियुक्त किया गया और विषयगत विशेषज्ञों को जनवरी 2022 में तैनात किया गया था। परिणामस्वरूप, लक्षित आकांक्षी और पिछड़े जिलों में क्लस्टर सुविधा परियोजना 21 महीने (दिसंबर 2021 तक) के लिए संचालित नहीं था।

राज्य सरकार ने कहा (जुलाई 2025) कि प्रारम्भ में क्लस्टर सुविधा परियोजना 2020-21 से 2022-23 की अवधि के लिए प्रारम्भ किया गया था, दिसंबर 2020 में धनराशि प्रदान की गई था, लेकिन कोविड महामारी के कारण विषयगत विशेषज्ञों के चयन में देरी हुई और व्यय नहीं किया जा सका। यद्यपि, 2022-23 से धनराशि का उपयोग किया गया था।

यद्यपि राशि का उपयोग वर्ष 2023 से किया गया था, फिर भी क्लस्टर सुविधा परियोजना के तहत प्रमुख अपेक्षित परिणाम अप्राप्त रहे जैसा कि आगे के कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

6.4.2 विषयगत विशेषज्ञों की नियुक्ति न करना

क्लस्टर सुविधा परियोजना दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य, जिला और जनपद स्तर पर विषयगत विशेषज्ञ, क्लस्टर सुविधा परियोजना को संचालित करने के लिए अनिवार्य हैं। दिशानिर्देश क्लस्टर सुविधा परियोजना इकाई के संचालन के प्रत्येक स्तर पर आवश्यक विषयगत विशेषज्ञों की संख्या

[3] इससे पहले क्लस्टर सुविधा टीम रणनिति 2014 में प्रारम्भ की गई थी 2013 में चयनित राज्यों में दिशानिर्देश जारी किये गए थे, जिसे छत्तीसगढ़ सहित चार राज्यों के लिए 2018 तक बढ़ा दिया गया था।

प्रदान करते हैं। समझौते की शर्तों के अनुसार, मानव संसाधन एजेंसी को समझौते पर हस्ताक्षर करने के तीन महीने के अंदर आवश्यक विषयगत विशेषज्ञ की नियुक्ति करनी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि समझौते पर अगस्त 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन तीन महीने (नवंबर 2021 तक) के अंदर कोई नियुक्ति नहीं की गई थी और 259 विषयगत विशेषज्ञ की आवश्यकता के विरुद्ध जनवरी 2022 में मानव संसाधन एजेंसी द्वारा केवल 13 विशेषज्ञों को तैनात किया गया था। क्लस्टर सुविधा परियोजना कार्यान्वयन अवधि के दौरान विषयगत विशेषज्ञों की नियुक्ति की स्थिति **तालिका 6.4** में दी गई है।

तालिका 6.4: विषयगत विशेषज्ञों की स्थिति

विषयगत विशेषज्ञ/स्थिति	क्लस्टर सुविधा परियोजना की संख्या	आवश्यक विषयगत विशेषज्ञ	पदस्थ विशेषज्ञ			
			मार्च 2022	मार्च 2023	मार्च 2024	जुलाई 2024
राज्य परियोजना अधिकारी (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन)	01	01	01	01	01	01
राज्य परियोजना अधिकारी (भौगोलिक सूचना प्रणाली)		01	शून्य	01	01	01
राज्य परियोजना अधिकारी (आजीविका)		01	शून्य	01	01	01
जिला प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन विशेषज्ञ	11	11	10	10	11	06
जिला भौगोलिक सूचना प्रणाली विशेषज्ञ		11	09	09	09	08
जनपद भौगोलिक सूचना प्रणाली समन्वयक	26	26	शून्य	01	01	01
जनपद प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन विशेषज्ञ		104	शून्य	17	16	09
जनपद आजीविका विशेषज्ञ कृषि और संबद्ध		104	शून्य	06	06	02
कुल		**259**	**20**	**46**	**46**	**29**

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदान किये गये आंकड़े तथा लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि क्लस्टर सुविधा परियोजना के तहत कुल 259 विषयगत विशेषज्ञ की आवश्यकता के विरूद्ध केवल 46 विषयगत विशेषज्ञों को तैनात किया गया था (मार्च 2024), जो बाद में घटकर 29 हो गया (जुलाई 2024),जो 89 प्रतिशत की कमी दर्शाता है। इसके अलावा, जनपद स्तर पर 234 विषयगत विशेषज्ञों के विरूद्ध केवल 12 विषयगत विशेषज्ञों को तैनात किया गया था अर्थात 95 प्रतिशत कमी थी, जबकि दो नमूना जांच वाले जनपदों गीदम और लखनपुर में, 22 विषयगत विशेषज्ञ की आवश्यकता के विरूद्ध केवल चार विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया था। जनशक्ति की निरंतर घोर कमी ने क्लस्टर सुविधा परियोजना के लिए अपेक्षित परिणाम की प्राप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला होगा।

सरकार ने कहा (जुलाई 2025) कि उपलब्ध आवेदनों के आधार पर विषयगत विशेषज्ञों की भर्ती की गई थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण नियुक्तियों में देरी हुई थी। इसके अतिरिक्त, क्लस्टर सुविधा परियोजना दिशानिर्देश सभी स्तरों पर क्लस्टर सुविधा परियोजना विशेषज्ञों के लिए एक समान और उच्च शैक्षिक योग्यता निर्धारित करते हैं। इन योग्यताओं में छूट के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया गया था।

6.4.3 प्रदर्शन संकेतकों के अन्तर्गत अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति न होना

क्लस्टर सुविधा परियोजना दिशानिर्देशों का अनुच्छेद 12.1 क्लस्टर सुविधा परियोजना के लिए 14 अपेक्षित परिणाम के लिए मानदंड प्रदान करता है। प्रदर्शन के प्रमुख अपेक्षित परिणाम को छः या बारह महीनों में प्राप्त किया जाना था। 14 अपेक्षित परिणाम में से (**परिशिष्ट 6.1**) लेखापरीक्षा ने 10 अपेक्षित परिणामों का आकलन किया तथा शेष चार की सूचना प्रबंधन प्रणाली प्रतिवेदन की अनुपलब्धता के कारण समीक्षा नहीं की जा सकी। सभी क्लस्टर सुविधा परियोजना जनपदों के लिए प्रमुख अपेक्षित परिणामों में से एक राशि अंतरण आदेश का 100 प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित करना था, इस लक्ष्य के विरूद्ध, 95 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की गई थी। सभी 26 क्लस्टर सुविधा परियोजना वाले जनपदों के लिए प्रमुख अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति की स्थिति और पाई गई कमियों पर बाद के कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

(i) प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यों, व्यक्तिगत कार्यों और कृषि और संबद्ध कार्यों पर व्यय

क्लस्टर सुविधा परियोजना दिशानिर्देशों (2019) के अनुसार प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य पर व्यय, कुल व्यय का 65 प्रतिशत तक पहुंचना चाहिए जबकि व्यक्तिगत कार्यो और कृषि एवं संबद्ध कार्यों पर व्यय क्लस्टर सुविधा परियोजना प्रारम्भ होने की तारीख से छः महीने के अंदर जनपद में कुल व्यय का 60 प्रतिशत तक पहुंचना चाहिए।

राज्य के सभी 26 जनपदों में 2019-20 से 2023-24 के दौरान उपरोक्त अपेक्षित परिणामों की उपलब्धि की स्थिति **चार्ट 6.1** में विस्तृत है।

चार्ट 6.1: प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, व्यक्तिगत और कृषि कार्यों पर व्यय का विवरण

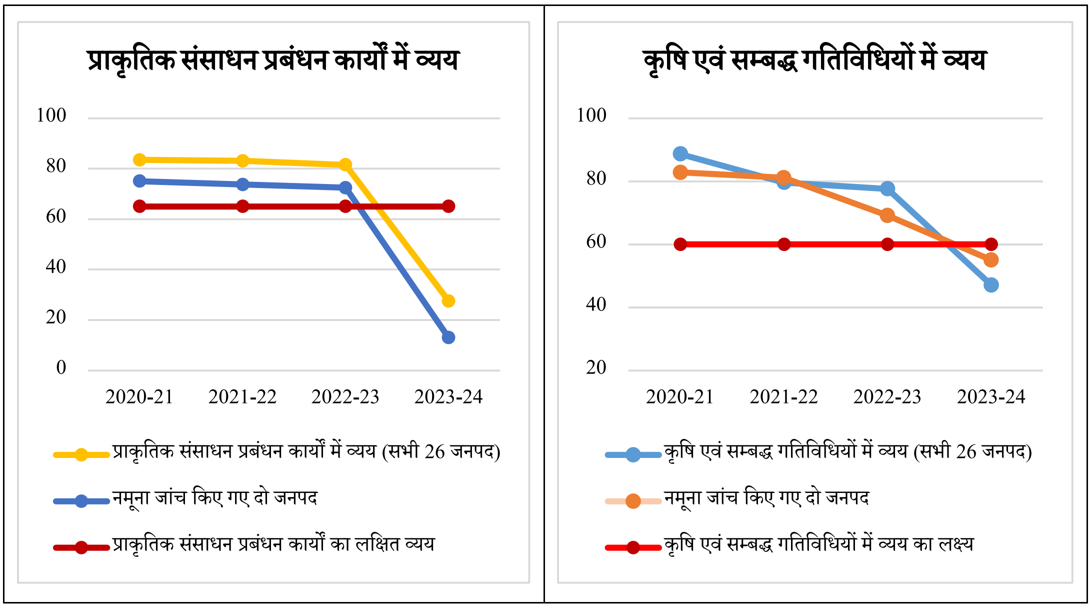

यह स्पष्ट है कि 2020-21 से 2022-23 के दौरान, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन व्यय 77 से 83 प्रतिशत के बीच निर्धारित सीमा से ऊपर रहा; यद्यपि, 2023-24 में यह काफ़ी घटकर 27 प्रतिशत हो गया, जबकि नमूना जांच वाले दो जनपदों में यह 2020-23 के दौरान 72 से 74 प्रतिशत था, जो 2023-24 में गिरकर 13 प्रतिशत रह गया।

इसके अतिरिक्त, कृषि और संबद्ध गतिविधियों के तहत व्यय का प्रतिशत वर्ष 2020-23 में 77 से 87 प्रतिशत था जबकि वर्ष 2023-24 में यह गिरकर 47 प्रतिशत रह गया। नमूना जांच किये गए दो जनपदों में यह 2020-23 के दौरान 69 से 83 प्रतिशत था, जो 2023-24 में केवल 55 प्रतिशत रह गया। इसके अलावा व्यक्तिगत कार्यों पर व्यय का प्रतिशत लगातार लक्ष्य से अधिक रहा और वर्ष 2020-24 के दौरान यह 63 से 75 प्रतिशत के बीच था, इसका तात्पर्य है कि इन जनपदों में क्लस्टर सुविधा परियोजना के कार्यान्वयन से पहले ही व्यक्तिगत कार्यों का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था।

सरकार ने कहा (जुलाई 2025) कि भारत सरकार ने योजना के तहत स्वीकृत कार्यों की सूची को फिर से वर्गीकृत किया है (अक्टूबर 2023) और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य सूची से कुछ कार्यों को कृषि और संबद्ध कार्य सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है जिसके कारण 2023-24 में वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। यद्यपि वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिला परियोजना समन्वयकों को निर्देश जारी किए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यों के पुनः वर्गीकरण पर विचार करने के बाद भी वांछित लक्ष्य न तो प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में प्राप्त किए गए थे और न ही कृषि और संबद्ध कार्य श्रेणियों में।

(ii) मानव-दिवस सृजन के मापदंडों पर क्लस्टर सुविधा परियोजना जनपदों का प्रदर्शन

क्लस्टर सुविधा परियोजना दिशानिर्देशों के अनुसार, मानव-दिवस सृजन के मापदंड पर क्लस्टर सुविधा परियोजना जनपदों का प्रदर्शन क्लस्टर सुविधा परियोजना प्रारम्भ होने की तारीख से 12 महीने के बाद राज्य के औसत तक पहुंच जाना चाहिए जैसा कि **चार्ट 6.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 6.2: औसत मानव-दिवस सृजन की तुलना (लाख में)

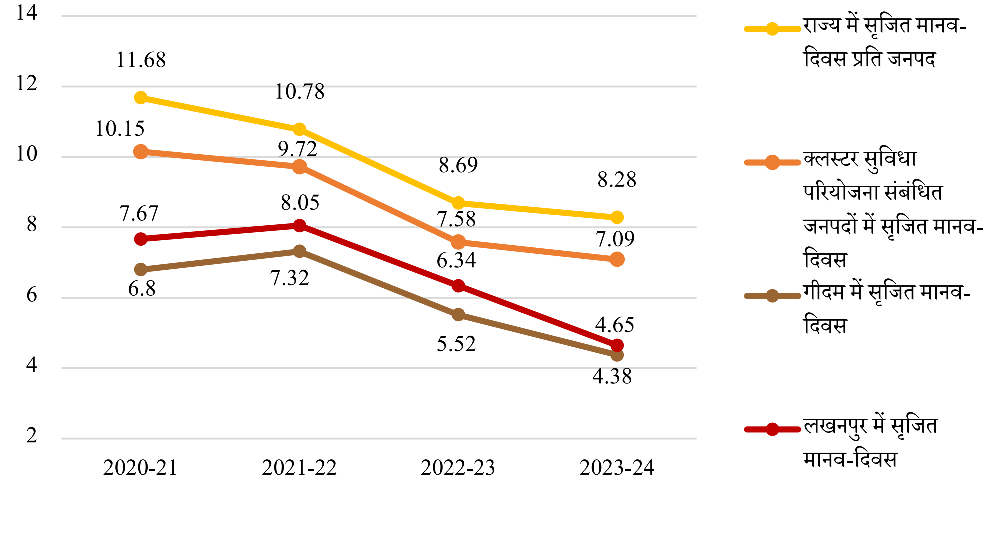

यह स्पष्ट है कि क्लस्टर सुविधा परियोजना जनपदों में वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान औसत मानव-दिवस सृजन 9.72 लाख से घटकर 7.09 लाख हो गया। राज्य के औसत की तुलना में गीदम में मानव-दिवस सृजन में कमी 32 से 47 प्रतिशत एवं लखनपुर में यह 25 से 44 प्रतिशत थी। इससे पता चलता है कि इन जनपदों में क्लस्टर सुविधा परियोजना के कार्यान्वयन के बाद भी मानव-दिवस सृजन हमेशा राज्य के औसत से कम था।

आयुक्त ने उत्तर दिया कि क्लस्टर सुविधा परियोजना के तहत शामिल किए गए 26 जनपदों में से अधिकांश दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हैं जहां भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई नई आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) को समस्याओं का सामना करना पड़ा है और परिणामस्वरूप 100 प्रतिशत मानव-दिवस हासिल नहीं किया जा सका।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि क्लस्टर सुविधा परियोजना को केवल राज्य के पिछड़े और आकांक्षी जनपदों में लागू किया गया था। इसके अतिरिक्त, प्रत्यक्ष लाभ-हस्तांतरण/ आधार आधारित भुगतान प्रणाली 2017-18 से राज्य में चालू है, जबकि मनरेगा के तहत जनवरी 2024 से यह अनिवार्य हो गया है।

(iii) भौगोलिक सूचना प्रणाली योजना के अनुसार कार्यों की शुरुआत

क्लस्टर सुविधा परियोजना दिशानिर्देशों के अनुसार, क्लस्टर सुविधा परियोजना प्रारम्भ होने के 12 महीने के अंदर जनपद में सभी ग्राम पंचायत के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित योजनाओं के अनुसार 100 प्रतिशत कार्य प्रारम्भ किए जाने चाहिए।

यह देखा गया कि वर्ष 2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान भौगोलिक सूचना प्रणाली योजना के अनुसार कार्यों की शुरुआत में 16 प्रतिशत से 81 प्रतिशत सुधार हुआ है। यद्यपि, किसी भी क्लस्टर सुविधा परियोजना वाले जनपदों (कोंडागांव को छोड़कर) में 100 प्रतिशत का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका। **चार्ट 6.3** में दर्शाए गए अवधि के दौरान चयनित दो जनपदों में यह प्रतिशत 11 से लेकर 88 तक था।

चार्ट 6.3: भौगोलिक सूचना प्रणाली योजना अनुरूप कार्यों की शुरुआत

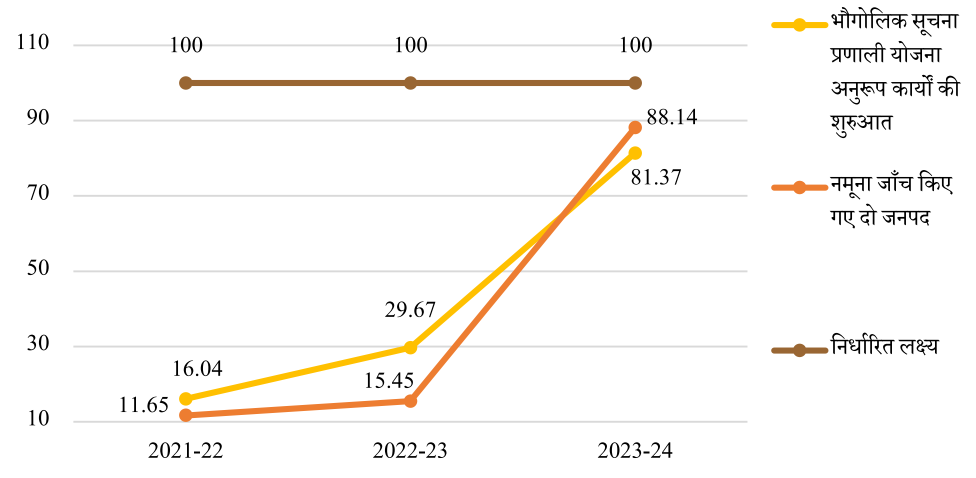

(iv) भौगोलिक सूचना प्रणाली योजना के अनुसार कार्यों को पूरा करना

क्लस्टर सुविधा परियोजना दिशानिर्देशों के अनुसार, भौगोलिक सूचना प्रणाली योजना के अनुसार लिए गए 100 प्रतिशत कार्यों को क्लस्टर सुविधा परियोजना प्रारम्भ होने से 18 महीने के अंदर पूरा किया जाना चाहिए।

यह देखा गया कि वर्ष 2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित योजना के अनुसार निर्धारित समय-सीमा 18 महीने में कार्य पूरा करने का प्रतिशत 34 प्रतिशत से घटकर 19 प्रतिशत हो गया । इस प्रकार किसी भी 26 क्लस्टर सुविधा परियोजना जनपदों में 100 प्रतिशत उपलब्धि का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। दो चयनित जनपदों में **चार्ट 6.4** में दर्शाई गई अवधि के दौरान यह प्रतिशत 45 से घटकर 12 प्रतिशत हो गया था।

चार्ट 6.4:भौगोलिक सूचना प्रणाली योजना अनुसार कार्यों की पूर्णता

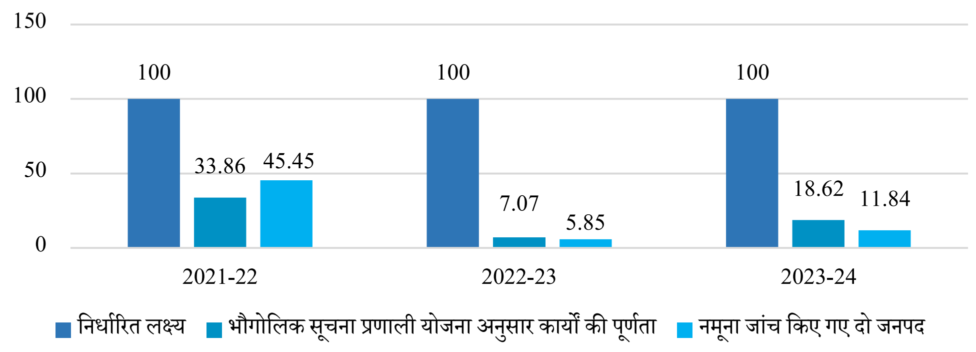

(v) कार्य पूर्णता दर

दिशानिर्देशों के अनुसार, क्लस्टर सुविधा परियोजना जनपद में काम की पूर्णता दर क्लस्टर सुविधा परियोजना की शुरुआत के 12 महीने के अंदर राष्ट्रीय औसत तक पहुंच जानी चाहिए।

सूचना प्रबंधन प्रणाली प्रतिवेदनों की जांच के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2019-22 में कार्यों का राष्ट्रीय पूर्णता दर 95 प्रतिशत और राज्य औसत 99 प्रतिशत था। राष्ट्रीय और राज्य औसत पूर्णता दर का विवरण **तालिका 6.5** में दिया गया है।

तालिका 6.5 कार्यों की पूर्णता दर का विवरण

वर्ष	राष्ट्रीय औसत[4]	राज्य औसत	सभी 26 क्लस्टर सुविधा परियोजना वाले जनपदों का औसत	गीदम जनपद	लखनपुर जनपद
2020-21	95.28	98.72	97.08	92.05	94.49
2021-22	95.28	98.72	96.04	92.80	81.70
2022-23	79.59	90.01	84.75	80.81	80.42
2023-24	54.53	72.42	56.98	35.74	49.55

(स्रोतः सूचना प्रबंधन प्रणाली)

[4] 2021-22 से पहले के वर्षों के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर कार्य पूर्णता दर के आंकड़ें उपलब्ध नहीं थे।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान सभी 26 क्लस्टर सुविधा परियोजना वाले जनपदों में औसत कार्य पूर्णता दर 96 प्रतिशत से घटकर 57 प्रतिशत हो गई जो क्लस्टर सुविधा परियोजना प्रारम्भ होने के बाद भी राज्य के औसत से कम थी। इसके अतिरिक्त, गीदम में पूर्णता दर क्लस्टर सुविधा परियोजना कार्यान्वयन के बाद तेजी से घटकर 92 प्रतिशत से 36 प्रतिशत (2023-24) और लखनपुर में 82 प्रतिशत से 50 प्रतिशत हो गई। इस प्रकार, क्लस्टर सुविधा परियोजना वाले जनपद राज्य के साथ-साथ राष्ट्रीय औसत कार्य पूर्णता दर प्राप्त करने में विफल रहे।

सरकार ने कहा (जुलाई 2025) कि कई दूरस्थ एवं नक्सलवाद से प्रभावित जनपदों में, नई प्रणाली के तहत भुगतान के मुद्दों के कारण, पूर्ण किए गए कार्यों के लिए 100 प्रतिशत भुगतान नहीं किया जा सका, और इसलिए परियोजना पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जा सके, यद्यपि कार्य भौतिक रूप से पूरा हो सकता है।

6.4.4 मानव संसाधन एजेंसी के कार्य प्रदर्शन मूल्यांकन के बिना समझौते का विस्तार

क्लस्टर सुविधा परियोजना दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 12.3 के अनुसार, अपेक्षित परिणामों की सालाना समीक्षा की जाएगी और विषयगत विशेषज्ञ की नियुक्ति का और विस्तार पिछले वर्ष के प्रदर्शन पर आधारित होगा। मानव संसाधन एजेंसी की प्रगति की समीक्षा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं मनरेगा की संयुक्त समिति द्वारा किया जाएगा। अनुबंध के खंड 14.1 के अनुसार, प्रारम्भ में अनुबंध पर 12 महीने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे, उसके बाद, संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर, अनुबंध को समान नियमों और शर्तों पर एक या दो साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2024 तक अनुबंध के विस्तार और तीन साल की समझौते की अवधि से परे मार्च 2025 तक अनुबंध के नवीनीकरण से पहले मानव संसाधन एजेंसी के प्रदर्शन की निगरानी और मूल्यांकन नहीं किया गया था। मानव संसाधन एजेंसी तीन महीने (नवंबर 2021 तक) की निर्धारित अवधि के अंदर और यहां तक कि लेखापरीक्षा दिनांक (जुलाई 2024 तक) तक आवश्यक संख्या में विषयगत विशेषज्ञ तैनात करने में विफल रही, इसके बावजूद भी मानव संसाधन एजेंसी के प्रदर्शन का कोई मूल्यांकन किये बिना, मार्च 2025 तक विस्तार दिया गया था। मानव संसाधन एजेंसी को (जुलाई 2024 तक) ₹ 6.56 करोड़[5] की राशि का भुगतान किया गया था। इस प्रकार अप्रभावी अनुबंध प्रबंधन ने, लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान क्लस्टर सुविधा परियोजना वाले जनपदों के प्रदर्शन में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं होने के साथ राज्य में मनरेगा के तहत क्लस्टर सुविधा परियोजना के कार्यान्वयन को प्रभावित किया।

सरकार ने कहा (जुलाई 2025) कि राज्य स्तर पर, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और मनरेगा योजना के अधिकारियों की एक समिति ने उनके प्रदर्शन के आधार पर क्लस्टर सुविधा परियोजना विशेषज्ञों का मूल्यांकन किया, उनके काम का सकारात्मक प्रभाव पड़ा था। अनुमोदन और प्रशासनिक स्वीकृति के बाद मानव संसाधन एजेंसी के साथ अनुबंध अवधि मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई।

5 विषयगत विशेषज्ञों के वेतन के रूप में ₹ 5.38 करोड़ एवं सेवा शुल्क के रूप में ₹ 1.18 करोड़।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि क्लस्टर सुविधा परियोजना में परिकल्पित प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के लिए लक्ष्य के विरूद्ध संतोषजनक प्रदर्शन सुनिश्चित किए बिना ही अनुबंध बढ़ा दिया गया था।

6.5 चयनित कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन की स्थिति

लेखापरीक्षा ने चयनित 48 ग्राम पंचायतों (प्रत्येक ग्राम पंचायत में सात कार्य) में ₹ 10 करोड़ के व्यय से जुड़े 336 कार्यों का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया। कार्यों का संयुक्त भौतिक सत्यापन सितंबर से अक्टूबर 2024 के दौरान संबंधित ग्राम पंचायत के मैदानी अमलों अर्थात रोजगार सहायक/तकनीकी सहायकों/ग्राम सचिवों के साथ आयोजित किया गया था।

6.5.1 निरर्थक व्यय

परिचालन दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 7.1.5 के अनुसार, केवल उन कार्यों को लिया जा सकता है जिनके परिणामस्वरूप टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण होता है और ग्रामीण गरीबों के आजीविका संसाधनों को मजबूत करता है। कार्यों के लिए प्राथमिकता का क्रम ग्राम पंचायतों के अंदर निर्धारित किया जाना है और ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना में परिलक्षित किया जाना है।

चयनित कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि योजना के तहत बनाई गई कुछ संपत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थीं और उपयोग योग्य स्थिति में नहीं थीं। इस प्रकार, इन परिसंपत्तियों के निर्माण पर किए गए ₹ 29.81 लाख का व्यय निरर्थक हो गया। कार्यों पर निरर्थक व्यय के उदहारण नीचे दिए गए हैं:

(i) ग्राम पंचायत, गोढ़ी, रायपुर में गोढ़ी मिटटी सड़क बड़े भर्री से नया तालाब तक का निर्माण मार्च 2022 में प्रारम्भ किया गया था और फरवरी 2023 में ₹ 4.38 लाख का व्यय करके पूरा किया गया था। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि बाद में बारिश के मौसम में सड़क बह गई थी और अब उपयोग करने योग्य नहीं थी।

(ii) ग्राम पंचायत तरपोंगी, रायपुर में "तारपोंगी नया मिट्टी सड़क" का निर्माण मई 2020 में प्रारम्भ किया गया था, पूर्णता की निर्धारित अवधि दिसंबर 2020 थी। यह कार्य सितंबर, 2022 में कुल 5.70 लाख रुपये के व्यय के साथ 21 महीने की देरी से पूरा हुआ। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि बड़े गड्ढों की उपस्थिति के कारण सड़क उपयोग में नहीं थी और वाहनों और पैदल यात्रियों की आवाजाही के लिए अनुपयुक्त थी।

(iii) ग्राम पंचायत, तुलसीमानपुर, रायपुर में तुलसी रामनाथ के घर से नक्ता तालाब तक कच्ची सड़क निर्माण कार्य आठ महीने (अगस्त 2021) की अनुमानित पूर्णता अवधि के साथ दिसंबर 2020 में प्रारम्भ किया गया था एवं अप्रैल 2024 में ₹ 6.10 लाख का व्यय करके 32 महीने की देरी के साथ पूरा किया गया था। संयुक्त भौतिक सत्यापन (अगस्त 2024) के दौरान सड़क अपने पूरा होने के केवल छः महीने के अंदर अनुपयोगी पाई गई, जिसके परिणामस्वरूप निष्फल व्यय हुआ। संयुक्त भौतिक सत्यापन की तस्वीरें नीचे दी गई हैं:

चित्र 6.1: गोढ़ी, रायपुर 14.09.2024	**चित्र 6.2: तरपोंगी, रायपुर 27.08.2024**	**चित्र 6.3: तुलसीमानपुर, रायपुर 28.08.2024**

सरकार ने कहा (जुलाई 2025) कि अनुमोदित मुरूम कार्य की अनुपस्थिति के कारण बरसात के मौसम के दौरान मिट्टी की सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है एवं उपयुक्त तकनीकी उपायों का उपयोग करके इसकी ठीक से मरम्मत की जा रही है।

(iv) ग्राम पंचायत, कोल्हेनझरिया, जशपुर में स्वयं सहायता समूह शेड का निर्माण फरवरी 2022 में प्रारम्भ किया गया था और मई 2023 में ₹ 7.05 लाख के व्यय के साथ पूरा किया गया था। हालाँकि, संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि शेड की छत गायब थी और दरवाजा खुला था। शेड का उपयोग किसी भी स्वयं सहायता समूह द्वारा इसके पूरा होने के बाद से नहीं किया गया है एवं संरचना उपयोग योग्य स्थिति में नहीं है। इसके अतिरिक्त, कार्य को ग्राम पंचायत के प्रस्ताव में प्राथमिकता नहीं दी गई थी, जो स्थानीय आवश्यकताओं की उचित योजना और आकलन के अभाव को दर्शाता है।

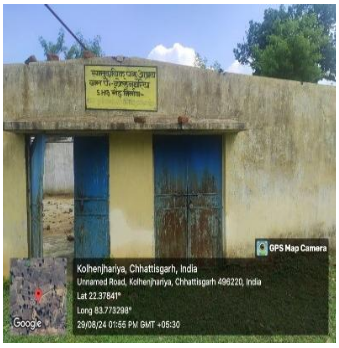

चित्र 6.4: कोल्हेनझरिया, जशपुर 09.08.2024

सरकार ने कहा कि (जुलाई 2025) बारिश के दौरान, तेज हवाओं और तूफानों के कारण स्वयं सहायता समूह शेड का ऊपरी हिस्सा (छत) टूट गया और ढह गया। इसे कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा मरम्मत किया गया है।

(v) ग्राम पंचायत सिकरीमा, जशपुर में "समुदायिक पशु आश्रय" में स्वयं सहायता समूह शेड का निर्माण फरवरी 2022 में छः महीने की अनुमानित पूर्णता अवधि के साथ प्रारम्भ हुआ एवं जुलाई 2023 में ₹ 6.58 लाख का व्यय करके 12 महीने की देरी के साथ पूरा किया गया। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, शेड को बंद पाया गया, छत बिखरी हुई थी, और उसके चारों ओर झाड़ियाँ उग गई थीं, जो यह दर्शाता है कि शेड का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, कार्य विवरण के साथ सूचना प्रदर्शन बोर्ड गायब था।

चित्र 6.5: सिकरीमा, जशपुर 28.08.2024

सरकार ने कहा कि (जुलाई 2025), ग्राम पंचायत एक हाथी प्रभावित क्षेत्र है, शेड को बंद रखा

जाता है, और बारिश के दौरान, तेज हवाओं और तूफानों के कारण स्वयं सहायता समूह शेड का ऊपरी हिस्सा टूट गया और ढह गया था। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा इसकी मरम्मत कर दी गई है।

6.5.2 सृजित परिसंपत्तियों के उपयोग न होने के कारण निष्फल व्यय

मनरेगा योजना के तहत व्यय करके गोठान परिसर में स्वयं सहायता समूहों के लिए वर्किंग शेड, पोल्ट्री शेड, बकरी शेड, मशरूम शेड और वर्मीकम्पोस्ट इकाइयों जैसे पशु आश्रयों जैसे विभिन्न बुनियादी ढांचे विकसित किए गए थे। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान सृजित परिसंपत्तियां निष्क्रिय/अप्रयुक्त पड़ी पाई गईं, मामले नीचे दिए गए हैं:

(i) वर्मीकम्पोस्ट इकाइयों पर निष्फल व्यय

चयनित कार्यों की संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान मनरेगा योजना के अंतर्गत बनाई गई वर्मीकम्पोस्ट इकाईयां जो निष्क्रिय पाई गईं, का विवरण नीचे दिया गया है और **परिशिष्ट 6.2** में विस्तृत रूप से दिया गया है।

संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि पांच नमूना जांच किए गए जिलों में 2019-24 के दौरान ₹ 29.85 लाख के व्यय कर 13[6] वर्मीकम्पोस्ट इकाइयों का निर्माण पूरा किया गया था, लेकिन सभी इकाईयां स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इसके संचालन और रखरखाव गतिविधियों को सुनिश्चित न करने के कारण निरर्थक (तस्वीरों में दिखाए गए नमूने के रूप में) पड़ी रही। इसके अतिरिक्त, इनमें से किसी भी कार्य को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था।

[redacted]

चित्र 6.6: दर्री, रायगढ़ 09.09.2024

चित्र 6.7: पंडेवार, दंतेवाड़ा 22.08.2024

(ii) पशु आश्रयों पर निष्क्रिय व्यय

संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-24 में ₹ 35.76 लाख व्यय करके निर्मित 10 पशु आश्रय निष्क्रिय पाए गए क्योंकि आश्रयों में कोई भी पशु पालन गतिविधियां

---

6 दंतेवाड़ा(1), जशपुर(2), रायगढ़(3), रायपुर(5) एवं सरगुजा(2)

नहीं की गई थी। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान ली गई तस्वीरें नीचे दी गई हैं और **परिशिष्ट 6.3** में विस्तृत हैं।

चित्र 6.8: बड़ेपनेडा, दंतेवाड़ा, 31.08.2024

चित्र 6.9: खपरीडीहखुर्द, रायपुर, 31.08.2024

(iii) पृथक्करण शेड और सामुदायिक शौचालयों पर निष्फल व्यय

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सामुदायिक शौचालयों के लिए पृथक्करण शेड का निर्माण मनरेगा योजना के तहत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के साथ अभिसरण में किया गया था, महिला स्वयं सहायता समूहों को इन शेडों एवं शौचालयों के संचालन में को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी।

संयुक्त भौतिक सत्यापन लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि 2019-2024 के दौरान ₹ 33.75 लाख का व्यय करके निर्मित 11[7] पृथक्करण शेड **(परिशिष्ट 6.4)** एक से दो वर्षों से अनुपयोगी पड़े थे। इसके अतिरिक्त, ₹ 2.35 लाख के व्यय पर निर्मित पाँच शौचालयों में ताला लगा हुआ पाया गया और खराब रखरखाव तथा पानी की टंकियों की अनुपलब्धता के कारण वे उपयोग करने योग्य नहीं थे।

वर्मीकम्पोस्ट गड्ढों, पशु आश्रयों, पृथक्करण शेड और सामुदायिक शौचालयों की निष्क्रिय स्थिति के मुख्य कारण स्वयं सहायता समूह/ग्राम पंचायतों के माध्यम से संचालन और रखरखाव की व्यवस्था सुनिश्चित न करना, बस्तियों से दूरी, निम्नस्तरीय निर्माण गुणवत्ता आदि थे। परिणामस्वरूप, स्वयं सहायता समूह को आर्थिक लाभ प्रदान करने और गांवों की स्वच्छता को बढ़ाने के लिए संपत्ति बनाने का उद्देश्य सुनिश्चित नहीं हो सका। संयुक्त भौतिक सत्यापन किए गए पृथक्करण शेड और सामुदायिक शौचालयों की तस्वीरें नीचे दिखाई गई है।

[7] बलरामपुर(3), दंतेवाड़ा(2), जशपुर(1), रायगढ़(1) एवं रायपुर (4)

चित्र 6.10: चुनापातर, बलरामपुर 28.08.2024

चित्र 6.11: बड़ेपनेडा, दंतेवाड़ा, 01.09.2024

चित्र 6.12: खपरीडीहखुर्द, रायपुर, 31.08.2024

चित्र 6.13: दर्री,रायगढ़, 14.08.2024

सरकार ने कहा (जुलाई 2025) कि स्वच्छ भारत मिशन के साथ अभिसरण के तहत परिसंपत्तियों का निर्माण किया गया है। गाँव की महिला स्वयं सहायता समूहों को पशु आश्रयों, पृथक्करण शेडों और वर्मीकम्पोस्ट इकाईयों का उपयोग कर आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायतों को रखरखाव के बाद उनका उपयोग सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है।

तथ्य यथावत है कि संपत्ति का उपयोग योजना, निष्पादन और निर्माण के बाद की निगरानी और गैर-अधिकृत/ग्राम महिला स्वयं सहायता समूह को संपत्ति सौंपने में कमियों के कारण नहीं किया जा सका था।

6.5.3 चयनित कार्यों के निष्पादन में देरी

परिचालन दिशानिर्देश 2013 के अनुच्छेद 7.17.1 तथा अनुच्छेद 7.17.5 के अनुसार, कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए एक वर्ष से अधिक समय में निष्पादित किए जाने वाले कार्यों को वार्षिक कार्य के अलग-अलग घटकों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें प्रत्येक वार्षिक कार्य घटक को अलग-अलग विशिष्ट कार्य पहचान दी जाए। जिन ग्राम पंचायतों में एक वित्तीय वर्ष से अधिक का कार्य अधूरा है, उन्हें पहले अपूर्ण कार्यों के लिए आवश्यक श्रम रोजगार क्षमता आवंटित करनी चाहिए।

जांच से पता चला कि वर्ष 2019-24 के दौरान स्वीकृत चयनित 336 कार्यों में से कार्य निर्धारित पूर्णता अवधि की समाप्ति के छः से साठ महीने बीत जाने के बावजूद अभी भी (दिसम्बर 2024 तक) अधूरे या प्रगतिरत थे। इसके अतिरिक्त, पूर्ण 270 कार्यों में से, 216 को एक से पांच साल की देरी के साथ पूरा किया गया था, जिसमें 126 कार्यों में एक वर्ष तक की देरी हुई, 61 कार्य दो साल तक और 29 दो साल से अधिक समय तक विलंबित थे। देरी मुख्य रूप से स्थल परिवर्तन, भूमि विवादों, भुगतान में देरी और व्यक्तिगत कार्यों में लाभार्थी की रुचि की कमी के कारण थी। यह लंबित कार्यों के अकुशल निष्पादन और प्राथमिकता न दिए जाने को दर्शाता है।

सरकार ने कहा कि (जुलाई 2025) देरी मुख्य रूप से स्थल बदलाव, भूमि विवाद, बारिश और व्यक्तिगत कार्यों में लाभार्थी के रूचि की कमी के कारण होती है, कारण अक्सर अपरिहार्य होते हैं। मनरेगा मांग-आधारित है, जिला परियोजना समन्वयक उचित औचित्य के साथ 20 चल रहे कार्यों से परे नए कार्यों को मंजूरी दे सकते हैं, विशेष रूप से ग्रामीण आजीविका का समर्थन करने वाली प्राथमिकता वाली संपत्तियों के लिए।

तथ्य यह है कि नए कार्यों को प्रारम्भ करने से संबंधित निर्देशों का पालन न करने के कारण निर्माण की निर्धारित अवधि से परे महत्वपूर्ण संख्या में कार्य अधूरे रहे या असामान्य रूप से देरी हुई।

6.5.4 मनरेगा परिसंपत्तियों की जियोटैगिंग

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश 2013 के अनुच्छेद 7.16.2 में यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक कार्य की तीन चरणों में अर्थात काम प्रारम्भ होने से पहले स्थल पर, मध्यवर्ती चरण में और इसके पूरा होने के बाद जियो-टैग की गई समय-मुहर लगे फोटो लिए जाने चाहिए एवं परियोजना पूर्णता प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया जाना चाहिए तथा नरेगासॉफ्ट पर अपलोड किया जाना चाहिए। परिसंपत्ति की जियोटैगिंग की प्रक्रिया में प्रत्येक परिसंपत्ति की दो तस्वीरें अपलोड करना एवं भुवन जियो मनरेगा पोर्टल पर प्रासंगिक आंकड़ा प्रदर्शित करना शामिल है।

चयनित 48 ग्राम पंचायतों में 2019-24 के दौरान 336 कार्यों में सृजित और जियो-टैग परिसंपत्तियों की स्थिति **तालिका 6.6** में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 6.6: चयनित कार्यों का निर्माण एवं जियो-टैग की गई परिसंपत्ति

वर्ष	सृजित परिसंपत्तियों की संख्या	जियो-टैग की गई परिसंपत्तियों की संख्या			जियो-टैग नहीं की गई परिसंपत्तियों की संख्या		
		चरण-I	चरण-II	चरण-III	चरण-I	चरण-II	चरण-III
2019-20	25	19	18	18	6	7	7
2020-21	63	60	53	47	3	10	16
2021-22	63	60	60	52	3	3	11
2022-23	73	69	65	52	4	8	21
2022-2023	112	91	83	42	21	29	70
कुल	**336**	**299**	**279**	**211**	**37**	**57**	**125**

(स्रोतः भुवन जियो मनरेगा पोर्टल)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित 336 कार्यों में से चरण-I, चरण-II और चरण-III के लिए जियो-टैग की गई तस्वीरें भुवन जियो मनरेगा पोर्टल पर क्रमशः केवल 299, 279 और 211 कार्यों के लिए उपलब्ध थी। सभी निर्धारित चरणों में जियो-टैगिंग का अभाव कार्य निष्पादन की पारदर्शिता और निगरानी में कमी को इंगित करती है।

राज्य सरकार ने कहा कि कार्यों की भौतिक स्थिति के आधार पर परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि सरकार ने निर्धारित चरणों में परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग न किये जाने के लिए कोई विशिष्ट औचित्य प्रदान नहीं किया।

अध्याय - VII

निगरानी एवं सामाजिक अंकेक्षण

अध्याय-VII

निगरानी एवं सामाजिक अंकेक्षण

7.1 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए निगरानी ढांचा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 तथा मनरेगा की परिचालन दिशानिर्देश, 2013 में सतर्कता एवं निगरानी समितियों, जिला गुणवत्ता पर्यवेक्षकों, राज्य गुणवत्ता पर्यवेक्षकों, छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद के माध्यम से राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर निगरानी तथा छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा सामाजिक अंकेक्षण निर्धारित की गई है।

7.1.1 छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद द्वारा निगरानी

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 तथा परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अंतर्गत योजना की बहु-स्तरीय निगरानी विभिन्न समितियों के माध्यम से किए जाने का प्रावधान है, जिनमें छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद भी सम्मिलित है, जिसे प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर तक अपनी वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करनी होगी। छत्तीसगढ़ में, इन दायित्वों के निर्वहन हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद तथा राज्य स्तरीय सशक्त समिति का गठन फरवरी 2006 में किया गया था। योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् को न्यूनतम एक बैठक तथा राज्य स्तरीय सशक्त समिति को न्यूनतम दो बैठकें प्रतिवर्ष आयोजित करना होता है।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2019-24 की अवधि में छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् द्वारा केवल एक बैठक (वर्ष 2020-21 में) आयोजित की गई, जबकि राज्य स्तरीय सशक्त समिति द्वारा इस अवधि में कोई भी बैठक आयोजित नहीं की गई थी। निर्धारित बैठकों का आयोजन न किए जाने के कारण योजना के क्रियान्वयन की प्रभावी निगरानी प्रभावित हुई।

सरकार द्वारा (जुलाई 2025 में) यह बताया गया कि अंतिम बैठक दिनांक 27.02.2025 को आयोजित की गई थी।

7.1.2 राज्य एवं जिला गुणवत्ता पर्यवेक्षकों द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 14.7 के अनुसार, कार्यों के स्वतंत्र तकनीकी निरीक्षण एवं गुणवत्ता निगरानी हेतु राज्य स्तर पर अधीक्षण अभियंता अथवा उससे उच्च स्तर के अधिकारी को संचालक (गुणवत्ता निगरानी) के रूप में नियुक्त करते हुए एक राज्य गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाना था। इसके अतिरिक्त, मनरेगा योजना दिशानिर्देशों में यह भी प्रावधान किया गया था कि जिला स्तर पर 10-15 सेवानिवृत्त अभियंताओं (सहायक अभियंता स्तर एवं उससे ऊपर) के पैनल वाली जिला गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठ को ₹ पांच लाख एवं उससे अधिक लागत वाले पूर्ण तथा प्रगतिरत कार्यों के न्यूनतम 10 प्रतिशत कार्यों की निगरानी करनी थी एवं इन

निरीक्षणों के प्रतिवेदनों को नरेगासॉफ्ट पोर्टल पर अपलोड किया जाना था तथा ग्राम पंचायतों द्वारा आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जानी थी।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि मार्च 2025 तक राज्य स्तर पर कोई भी राज्य गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठ गठित नहीं किया गया था। जून 2025 में, मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवाएं (तकनीकी) की अध्यक्षता में 29 सदस्यों के साथ एक राज्य गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया गया। इसके अतिरिक्त, चयनित जिलों के अभिलेखों की जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने यह पाया कि निष्पादित कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी एवं पर्यवेक्षण हेतु तकनीकी विशेषज्ञों से युक्त कोई भी जिला गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठ गठित नहीं किया गया था। वर्ष 2019-24 के दौरान निष्पादित कार्यों एवं किए गए व्यय का विवरण **तालिका 7.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 7.1: ₹ 5 लाख से अधिक लागत वाले कार्यों की संख्या और व्यय

(₹ करोड़ में)

ज़िला	निष्पादित कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि	व्यय
बलरामपुर	1653	293.63	186.93
दंतेवाड़ा	1659	178.56	145.56
जशपुर	2271	308.26	258.79
रायगढ़	3343	344.74	282.31
रायपुर	5480	603.72	486.04
सरगुजा	1382	133.56	91.64
योग	**15788**	**1862.47**	**1,451.27**

(स्रोत: सूचना प्रबंधन प्रणाली आंकड़े)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2019-24 के दौरान ₹ पांच लाख से अधिक लागत वाले 15,788 कार्यों पर कुल ₹ 1,451.27 करोड़ व्यय किए गए थे। हालांकि, जिला स्तर पर निगरानी प्रकोष्ठ के अभाव के कारण योजना के तहत पूर्ण और प्रगतिरत कार्यों की निगरानी नहीं की जा सकी और निष्पादित कार्यों की अपेक्षित गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

सरकार ने (जुलाई 2025) बताया कि राज्य गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठ का गठन मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में की गई एवं निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मार्च 2025 में तकनीकी मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

7.1.3 अनिवार्य पंजियों का संधारण

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश 2013 में अनिवार्य पंजियों के संधारण का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और संचालन हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम रोजगार सहायक द्वारा सात पंजियों के उचित संधारण के लिए निर्देश एवं निर्धारित प्रारूप (2016) निर्धारित किए। ग्राम पंचायत स्तर पर संधारित पंजियों और उनके उद्देश्य का विवरण **तालिका 7.2** में दिया गया है।

तालिका 7.2: ग्राम पंचायत स्तर पर संधारित पंजियों का विवरण और उनका उद्देश्य

पंजी संख्या	पंजी का नाम	उद्देश्य	चयनित ग्राम पंचायतों में सामान्य निष्कर्ष
I	जॉब कार्ड आवेदन और निर्गमन पंजी	जॉब कार्ड के लिए प्राप्त आवेदन, पंजीकरण की तिथि और जॉब कार्ड धारक का विवरण दर्ज करने हेतु।	जॉब कार्ड निर्गमन के लिए प्राप्त आवेदन की तिथि तथा जॉब कार्ड के निर्गमन की तिथि का प्रविष्टि नहीं की गई थी।
II	ग्राम सभा बैठक पंजी	ग्राम सभा की बैठकों में लिए गए प्रस्तावों और अनुमोदनों को दर्ज करने हेतु।	पंजी ग्राम पंचायतों में रखा गया था, हालाँकि कुछ प्रस्तावों को इसमें दर्ज नहीं किया गया और उन्हें अलग कागज के पन्नों पर रखा गया था।
III	रोजगार मांग, कार्य आवंटन और मजदूरी भुगतान पंजी	रोजगार की मांग की तिथि, प्रदान किए गए रोजगार और मजदूरी भुगतान की जानकारी दर्ज करने हेतु।	पंजियों में रोजगार की मांग की तिथि, प्रदान किए गए रोजगार और मजदूरी या बेरोजगारी भत्ते के भुगतान से संबंधित प्रविष्टियाँ नहीं पाई गई।
IV	कार्य पंजी	कार्य का विवरण, प्रशासनिक स्वीकृति और तकनीकी स्वीकृति की राशि, कार्य प्रारंभ/समापन की तिथि, निर्धारित अवधि आदि दर्ज करने हेतु।	पंजियों में प्रशासनिक स्वीकृति और तकनीकी स्वीकृति की राशि, कार्य प्रारंभ एवं समापन तिथि, तथा निर्धारित अवधि से संबंधित प्रविष्टियाँ अधूरी पाई गई।
V	अचल परिसंपत्तियों का पंजी	संपत्ति निर्माण और कार्य पूर्ण होने की तिथि आदि का विवरण दर्ज करना।	पंजी ग्राम पंचायतों में रखा गया था, हालाँकि सभी परिसंपत्तियों के लिए स्वीकृति तिथि और समापन तिथि जैसी जानकारी प्रविष्ट नहीं की गई थी।
VI	शिकायत पंजी	जनता या लाभार्थियों से कार्यों से संबंधित प्राप्त शिकायतों को दर्ज करने हेतु।	शिकायत पंजी में की गई कार्रवाई का विवरण और संबंधित तिथियाँ दर्ज नहीं की गई थीं।
VII	सामग्री पंजी	कार्य में प्रयुक्त सामग्री और मजदूरी पर हुए व्यय को दर्ज करने हेतु।	पंजी ग्राम पंचायतों में रखा गया था, हालाँकि वास्तव में खरीदी गई सामग्री का विवरण दर्ज नहीं किया गया। इसके बजाय प्रविष्टियाँ अनुमानित निष्पादित मात्राओं के आधार पर की गई।

(स्रोत: लेखापरीक्षा निष्कर्षों से संकलित)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ग्राम सभा बैठक पंजी, मजदूरी भुगतान पंजी, शिकायत पंजी तथा स्थायी परिसंपत्ति पंजी जैसे प्रमुख पंजी तो संधारित थे, लेकिन ये अधूरे थे, निर्धारित प्रारूप में नहीं थे या उनमें आवश्यक विवरण दर्ज नहीं किए गए थे। ये खामियाँ मनरेगा के अभिलेखों के संधारण और निगरानी में कमजोरियों की ओर संकेत करती हैं, जो संभावित रूप से पारदर्शिता को प्रभावित कर सकती है।

सरकार द्वारा बताया गया (जुलाइ 2025) कि पंजियों के संधारण में पाई गई कमियों को दूर करने और समय पर अद्यतन सुनिश्चित करने हेतु राज्य स्तर के अधिकारियों को निरीक्षण और निगरानी के लिए विशिष्ट जिलों का दायित्व सौंपा गया है।

7.2 छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का सामाजिक अंकेक्षण

मनरेगा की एक अभिनव विशेषता परियोजना कार्यान्वयन में निरंतर सार्वजनिक-सतर्कता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु सामाजिक अंकेक्षण का संस्थागतकरण है। मनरेगा की धारा 17 के अनुसार, ग्राम सभा ग्राम पंचायत में उपलब्ध सभी प्रासंगिक अभिलेखों का उपयोग करते हुए कार्यों की निगरानी करने तथा नियमित अंकेक्षण करने के लिए उत्तरदायी है।

छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई की स्थापना मार्च 2014 में छत्तीसगढ़ सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी, ताकि मनरेगा का सामाजिक अंकेक्षण किया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता, जवाबदेही और निधियों के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देना था।

7.2.1 छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई के लिए निधियाँ

सामाजिक अंकेक्षण के लिए निधियाँ राज्य को प्रशासनिक व्यय मद के रूप में मिलने वाले छः प्रतिशत हिस्से से प्रदान की जानी चाहिए, कुल व्यय का 0.5 प्रतिशत राज्य सामाजिक अंकेक्षण इकाई सामाजिक अंकेक्षण के लिए आवंटित किया जाना निर्धारित है। वर्ष 2019-24 के दौरान निधि और उनके उपयोग को **तालिका 7.3** में दिया गया है।

तालिका 7.3: छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई के लिए वर्ष 2019-24 की अवधि में आवंटन और व्यय

(₹ करोड़ मे)

वर्ष	मनरेगा योजना पर किया गया व्यय	अधिनियम के अनुसार आवश्यक निधि	प्रारंभिक शेष	ब्याज एवं अन्य आय	अनुदान	कुल उपलब्ध निधि	किया गया व्यय	अंतशेष
2019-20	2932.78	14.66	3.61	0.12	7.61	11.34	9.35	1.99
2020-21	4419.35	22.1	1.99	0.59	13.91	16.49	9.28	7.21
2021-22	3911.00	19.56	7.21	0.07	0.00	7.28	6.60	0.68
2022-23	3720.00	18.6	0.67	0.01	13.39	14.14	9.04	5.10
2023-24	3474.20	17.37	5.10	0.04	4.26	9.43	8.28	1.15
कुल	**18457.33**	**92.29**	**18.58**	**0.83**	**39.17**	**58.68**	**42.55**	**16.13**

(स्रोत: छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा प्रदान किये गए आंकड़े)

वर्ष 2019-24 की अवधि के दौरान, मनरेगा योजना के तहत ₹ 18,457.33 करोड़ का व्यय किया गया। अधिनियम के अनुसार, सामाजिक अंकेक्षण के लिए कुल ₹ 92.29 करोड़ की निधि आवश्यकता के विरूद्ध केवल ₹ 39.17 करोड़ की अनुदान राशि भारत सरकार द्वारा जारी की गई, जो आवश्यक राशि का मात्र 42 प्रतिशत है। वर्ष 2021-22 में ₹ 19.56 करोड़ की निधि की आवश्यकता के बावजूद कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ। मानव संसाधन की कमी और निधियों की उपलब्धता के परिणामस्वरूप सामाजिक अंकेक्षण करने में 4.55 से 99.97 प्रतिशत तक की महत्वपूर्ण कमी हुई, जैसा कि **कंडिका 7.2.2** और **7.2.3** में चर्चा की गई है।

सरकार ने कहा (जुलाई 2025) कि निधियाँ अधिकांशतः वित्तीय वर्ष के अंत में प्राप्त होती थीं, इसलिए उसी वर्ष में व्यय नहीं किया जा सका और केवल उपलब्धता परिलक्षित होती थी। वर्ष 2021-22 के लिए भारत सरकार द्वारा कोई आवंटन जारी नहीं किया गया था, जिसके कारण वर्ष 2022-23 में व्यय का भुगतान किया गया। शासन ने सामाजिक अंकेक्षण गतिविधियाँ वर्ष में दो बार आयोजित करने के लिए निर्धारित आवंटन (निधियाँ) के समय पर जारी किए जाने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया है।

7.2.2 सामाजिक अंकेक्षण इकाई में मानव संसाधन नियोजन

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 13.2.2 के अनुसार, सामाजिक अंकेक्षण इकाई सामाजिक अंकेक्षण आयोजित करने में ग्राम सभा को सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य संसाधन व्यक्ति, जिला संसाधन व्यक्ति, जनपद संसाधन व्यक्ति और ग्राम स्तर संसाधन व्यक्ति की उचित संख्या की पहचान करनी चाहिए। सितम्बर 2025 तक स्वीकृत विभिन्न पदों और पदस्थों की स्थिति का विवरण **तालिका 7.4** में दी गई है।

तालिका 7.4: छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई में स्वीकृत पदों और कार्यरत कर्मचारियों का विवरण

स्तर	पदाधिकारी	स्वीकृत पद	पदों पर कार्यरत व्यक्ति	कमी	कमी (प्रतिशत)
राज्य	संचालक और अन्य प्रशासनिक पद[1]	23	07	16	69.57
जिला	जिला सामाजिक अंकेक्षण समन्वयक	88	17	71	80.68
	डेटा एंट्री फैसिलिटेटर	50	16	34	68.00
जनपद	जनपद सामाजिक अंकेक्षण फैसिलिटेटर	425	273	142	33.41
योग		**586**	**313**	**263**	**44.88**

(स्रोत: संचालक, सामाजिक अंकेक्षण द्वारा प्रदान की गई जानकारी और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि कुल 586 स्वीकृत पदों में से 263 पद (45 प्रतिशत) रिक्त थे। राज्य स्तर पर रिक्तियाँ स्वीकृत पदों का 70 प्रतिशत थी, जबकि जिला स्तर पर रिक्तियाँ 68 से 81 प्रतिशत के बीच थी। इसी प्रकार, जनपद स्तर पर 33 प्रतिशत स्वीकृत पद रिक्त थे, जिससे जमीनी स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण गतिविधियों पर प्रभाव पड़ा। सभी स्तरों पर महत्वपूर्ण रिक्तियों के कारण प्रत्येक ग्राम पंचायत में समयबद्ध और व्यापक सामाजिक अंकेक्षण करने की क्षमता को सीमित कर सकती है।

सरकार द्वारा कहा (जुलाई 2025) कि भर्ती नियमों की तैयारी शासन स्तर पर प्रक्रिया में है, और भर्ती नियमों के अंतिम रूप देने के बाद ही भर्ती की जाएगी।

---

[1] संचालक, अपर संचालक, सहायक लेखाधिकारी, सामजिक विकास विशेषज्ञ, प्रबंधक (प्रशासन, वित्त, सूचना प्रोद्योगिकी), प्रशिक्षण समन्वयक, उपप्रबंधक (प्रशासन), प्रशासन सहायक/लेखा सहायक, सहायक प्रोग्रामर, स्टेनो, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सामाजिक अंकेक्षण प्रबंधक आदि।

7.2.3 ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण के आयोजन में कमी

मनरेगा में यह प्रावधान है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण कम से कम प्रत्येक छः माह में एक बार आयोजित करना अनिवार्य है।

अभिलेखों की जांच (जुलाई 2024) में यह पाया गया कि वर्ष 2019-24 के दौरान, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में वर्ष में दो बार सामाजिक अंकेक्षण आयोजित करने की योजना तैयार नहीं की थी, जो मनरेगा के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं है। इस प्रकार, राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण आयोजित करने में महत्वपूर्ण कमी देखी गई। वर्ष 2019-24 के दौरान छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा सामाजिक अंकेक्षण की योजना और उसके आयोजन का विवरण **तालिका 7.5** में दिया गया है।

तालिका 7.5: सामाजिक अंकेक्षण की योजना एवं आयोजन की स्थिति

वर्ष	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	योजनाबद्ध सामाजिक अंकेक्षणों की संख्या	छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा लक्षित सामाजिक अंकेक्षणों की संख्या	योजना में कमी	कम से कम एक बार अंकेक्षण किए गए ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	लक्ष्य के विरुद्ध कमी	कम से कम एक बार लेखापरीक्षा न किए गए ग्राम पंचायतों का प्रतिशत
2019-20	11,682	23,364	6951	16,729	6,635	316	4.55
2020-21	11,666	23,332	10945	23,329	3	10,942	99.97
2021-22	11,666	23,332	11494	15,336	7,996	3,498	30.43
2022-23	11,666	23,332	11480	11,838	4,506	6,974	60.75
2023-24	11,662	23,324	11457	11,867	7,722	3,735	32.60

(स्रोत: संचालक, सामाजिक अंकेक्षण द्वारा प्रदान की गई जानकारी तथा अंकेक्षण द्वारा संकलित)

छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा नियोजित , लक्षित तथा वास्तविक रूप से आयोजित सामाजिक अंकेक्षण का विवरण **चार्ट 7.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 7.1: सामाजिक अंकेक्षण की योजना, लक्ष्य एवं क्रियान्वयन की स्थिति

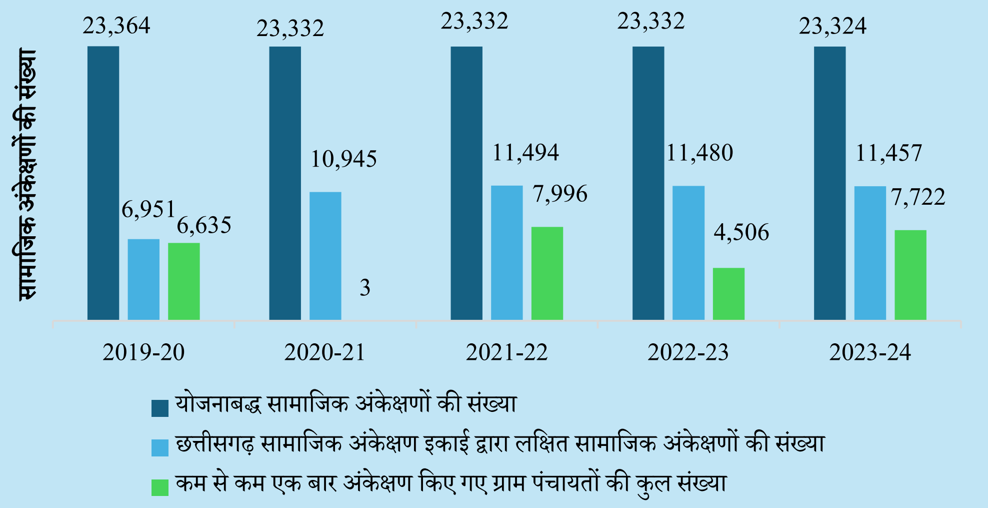

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत सामाजिक अंकेक्षण की वार्षिक योजना, प्रत्येक ग्राम पंचायत को वर्ष में केवल एक बार ही सम्मिलित करते हुए तैयार की गई थी। अभिलेखों की जांच (जुलाई 2024) में यह भी पाया गया कि वर्ष 2019-24 के दौरान सामाजिक अंकेक्षण के आयोजन में पाँच से 99.97 प्रतिशत तक की उल्लेखनीय कमी रही। आगे, 48 चयनित ग्राम पंचायतों के अलावा, यह देखा गया कि चयनित जिलों के चार ग्राम पंचायत ऐसे ग्राम पंचायत थे, जहां 2019-24 के दौरान कोई सामाजिक लेखा परीक्षा नहीं की गई थी, जबकि किसी भी ग्राम पंचायत में जैसा कि निर्धारित किया गया था वर्ष में दो बार सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित नहीं की गई।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि वर्ष 2019-24 के दौरान चयनित 336 कार्यों में से 242 कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, सामाजिक अंकेक्षण आयोजित किए जाने में विफलता ने योजना के क्रियान्वयन में सार्वजनिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्यों को विफल कर दिया।

सरकार ने कहा (जुलाई 2025) कि आदर्श आचार संहिता, कोविड-19 महामारी तथा भारत सरकार से निधि आवंटन में हुई देरी के कारण सामाजिक अंकेक्षण गतिविधियाँ प्रभावित हुईं, जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में कवरेज कम रहा। वित्तीय बाधाओं और लंबित भुगतानों के बावजूद, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए यथासंभव सामाजिक अंकेक्षण आयोजित किए गए।

7.2.4 सामाजिक अंकेक्षण टिप्पणियों का निपटान लंबित रहना

परिचालन दिशानिर्देश 2013 के अनुच्छेद 13.4.2 में यह प्रावधान है, जिला कार्यक्रम समन्वयक, यह सुनिश्चित करेगा कि सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन पर समयबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। राज्य स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण टिप्पणियों की स्थिति **तालिका 7.6** में दी गई है।

तालिका 7.6: राज्य में सामाजिक अंकेक्षण टिप्पणियों की लंबित स्थिति

वर्ष	उल्लेखित टिप्पणियाँ	निस्तारित टिप्पणियाँ	लंबित टिप्पणियाँ	लंबित टिप्पणियाँ (प्रतिशत)
2019-20	13860	9695	4165	30.05
2020-21	3	3	0	0.00
2021-22	16987	10049	6938	40.84
2022-23	11298	4386	6912	61.18
2023-24	20729	5053	15676	75.62
योग	**62877**	**29186**	**33691**	**53.58**

(स्रोत: छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा प्रदान की गई जानकारी और सूचना प्रबंधन प्रणाली के आंकड़े)

संचालक, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई के अभिलेखों की जांच से यह पता चला कि वर्ष 2019-24, के दौरान कुल 62,877 लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ उठाई गई, जिनमें से 33,691 टिप्पणियाँ (54 प्रतिशत) निस्तारित नहीं की गई, राज्य स्तर पर लंबित टिप्पणियों का प्रतिशत

वर्ष 2019-20 में 30 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 76 प्रतिशत हो गया। इसके अतिरिक्त, नमूना-जांच किये गए 48 ग्राम पंचायतों में 314 लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ उठाई गईं, जिनमें से 124 टिप्पणियाँ अभी भी सुधारात्मक कार्रवाई हेतु लंबित थीं। यह स्थिति सामाजिक अंकेक्षण टिप्पणियों के प्रभावी अनुवर्ती कार्यवाही के अभाव तथा लंबित लेखापरीक्षा टिप्पणियों के निस्तारण नही होने को दर्शाती है।

सरकार ने बताया (जुलाई 2025) कि शेष लंबित प्रकरणों का निरंतर कार्यवाही किया जा रहा है तथा उनका निस्तारण किया जा रहा है। तथापि, यह उत्तर सामाजिक अंकेक्षण टिप्पणियों के लंबित मामलों की संख्या में निरंतर वृद्धि तथा अपर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई को संबोधित नहीं करता है।

7.2.5 सामाजिक अंकेक्षण में उठाए गए वित्तीय दुर्विनियोजन संबंधी मामलों की वसूली

वित्तीय हानि के मामले में, हानि की राशि को अतिरिक्त राज्य दायित्व के रूप में माना जाएगा। गबन/दुर्विनियोजन राशि की वसूली होने पर उसे राज्य रोजगार गारंटी निधि में जमा किया जाएगा (या यदि राज्य के पास राज्य रोजगार गारंटी निधि नहीं है तो जिला स्तर पर मनरेगा कोष में) और राज्य के दायित्व को तदनुसार समायोजित किया जाएगा।

सामाजिक अंकेक्षण के दौरान वित्तीय दुर्विनियोजन वर्ष 2019-24 के दौरान तय किए गए मामलों में वर्षवार वसूली की गई राशि का विवरण **तालिका 7.7** में दिया गया है।

तालिका 7.7: प्रतिवेदित की गई वित्तीय दुर्विनियोजन संबंधी मामलों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वित्तीय दुर्विनियोग के मामलों की संख्या	सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा प्रतिवेदन किए गए निर्णय किए गए मामलों की राशि	निर्णय किए गए मामलों की संख्या	अंतिम वसूल योग्य राशि	वसूली किए गए मामलों की संख्या	वसूली की गई राशि	वसूली के लिए लंबित राशि
2019-20	3751	11.66	2078	4.34	2027	4.18	0.16
2020-21	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
2021-22	4539	15.87	2188	3.93	2144	3.79	0.15
2022-23	3034	8.43	1531	2.91	1471	2.81	0.12
2023-24	3954	10.61	1594	2.38	1521	2.26	0.13
कुल	**15278**	**46.57**	**7391**	**13.56**	**7163**	**13.04**	**0.56**

(स्रोत: छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा प्रदान की गई जानकारी और सूचना प्रबंधन प्रणाली आंकड़े)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि सामाजिक अंकेक्षण के दौरान कुल 15,278 दुर्विनियोजन के मामले जिनकी राशि ₹ 46.57 करोड़ थी, पहचाने गए। इनमें से 7,391 मामले जिनकी राशि

₹ 13.56 करोड़ थी, वसूली योग्य माने गए और सूचना प्रबंधन प्रणाली प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2019-24 के दौरान ₹ 13.04 करोड़ की राशि वसूल की गई।

हालाँकि लेखापरीक्षा ने यह पाया कि सूचना प्रबंधन प्रणाली के प्रतिवेदनों में अक्टूबर 2024 तक ₹ 13.04 करोड़ की राशि वसूल दर्शाई गई थी, यह राशि न तो राज्य रोजगार गारंटी कोष में जमा की गई और न ही भारत सरकार को प्रस्तुत वित्तीय विवरणों या उपयोगिता प्रमाणपत्रों में परिलक्षित हुई। आयुक्त, छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् ने वर्ष 2021 में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वसूली गई राशि राज्य स्तर पर संधारित एकल बैंक खाते में जमा की जाए। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि उक्त खाते की रोकड़ बही का संधारण नहीं किया गया था, एवं बैंक स्टेटमेंट में 13 फरवरी 2025 तक कुल वसूली ₹ 13.04 करोड़ के बावजूद केवल ₹ 3.79 करोड़ का अंतिम शेष पाया गया था।

सरकार ने बताया (जुलाई 2025) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित अनियमितताओं के निवारण के लिए मनरेगा योजना के तहत लगातार वसूली बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिसमें अब तक ₹ 13.88 करोड़ का 96 प्रतिशत वसूला जा चुका है और शेष ₹ 0.50 करोड़ की वसूली हेतु कार्रवाई जारी है। सूचना प्रबंधन प्रणाली में प्रतिवेदित की गई राशि और बैंक स्टेटमेंट के बीच अंतर का सत्यापन संबंधित जिले द्वारा किया जाएगा।

अध्याय – VIII

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

अध्याय- VIII

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

8.1 निष्कर्ष

दिशानिर्देशों में परिकल्पित आधारभूत सर्वेक्षण तथा बॉटम-अप योजना प्रक्रिया के अभाव के कारण मनरेगा योजना के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। आवधिक सर्वेक्षणों के अभाव में ग्राम पंचायतों के पास वास्तविक रोजगार मांग, मौसमी कार्य आवश्यकताओं तथा आजीविका प्रवृत्तियों से संबंधित अद्यतन आंकड़े का अभाव था। इसके परिणामस्वरूप, अवास्तविक श्रम बजट एवं विकास योजनायें तैयार हुई। अनिवार्य भागीदारी योजना प्रक्रिया तथा बॉटम-अप दृष्टिकोण को काफी हद तक दरकिनार कर दिया गया, क्योंकि वर्ष 2019-24 के दौरान नमूना जांच की गई ग्राम पंचायतों में लगभग 86 प्रतिशत कार्य ग्राम सभा की स्वीकृति के बिना निष्पादित किए गए थे। श्रम बजट एवं वार्षिक कार्य योजनाएं प्रायः विलंब से तैयार की गईं तथा जनपद एवं जिला पंचायतों की स्वीकृति के बिना ही अंतिम रूप दिया गया।

रोजगार की मांग के गलत आंकलन, अवास्तविक अनुमानों एवं मनमाने प्रशासनिक समायोजन के कारण अनुमानित, अनुमोदित एवं वास्तविक मानव-दिवस के बीच महत्वपूर्ण विसंगतियां थी, जिसने योजना की मांग-आधारित प्रकृति को कमजोर कर दिया।

सभी स्तरों पर निरंतर मानव संसाधन की कमी ने कार्यक्रम के निष्पादन को कमजोर कर दिया। स्वीकृत 15,354 पदों के विरुद्ध 21 प्रतिशत पद रिक्त रहे, जिनमें राज्य स्तर पर 35 प्रतिशत तथा जनपद स्तर पर 33 प्रतिशत रिक्तियां शामिल हैं। अभियंता एवं तकनीकी सहायक जैसे प्रमुख तकनीकी पदों पर पर्याप्त नियुक्ति नहीं की गई तथा राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित स्वीकृत ढांचे को अनुमोदन न दिए जाने के कारण अनिवार्य रूप से तकनीकी प्रकोष्ठ की स्थापना भी नहीं की जा सकी। प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के प्रयास नगण्य रहे, जहाँ लक्षित प्रशिक्षणों की तुलना में 97 प्रतिशत की कमी पाई गई, जिसके परिणामस्वरूप कार्यों की गुणवत्ता, निगरानी एवं पर्यवेक्षण गंभीर रूप से प्रभावित हुए।

कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान राशि ₹ 29.62 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 54.96 करोड़ का जुर्माना एवं ब्याज संचित हुआ। इनमें से ₹ 40 करोड़ की राशि राज्य निधि से भुगतान की गई, जिससे राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा, एवं 18 लाख से अधिक परिवारों को अधिकांशतः देय बेरोजगारी भत्ता भुगतान नहीं किया गया, जो वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।

वर्ष 2019-24 के दौरान, स्वीकृत 20.83 लाख कार्यों में से केवल 12.64 लाख (61 प्रतिशत) कार्य पूर्ण हुए, जबकि 3.87 लाख कार्य अपूर्ण रहे तथा 4.32 लाख कार्य प्रारंभ ही नहीं किए गए। छः नमूना-जांच किए गए जिलों में 33,306 से अधिक कार्य अपूर्ण पाए गए तथा 66,297 कार्य प्रारंभ नहीं किए गए। खराब योजना, स्थल संबंधी विवादों एवं अपर्याप्त पर्यवेक्षण के कारण नमूना-जांच किए गए कार्यों में ₹ 1.25 करोड़ का व्यर्थ एवं निष्फल व्यय हुआ तथा स्थायी परिसंपत्तियों के सृजन में विफलता हुई।

क्लस्टर सुविधा परियोजना जिसका उद्देश्य आकांक्षी जिलों में प्रदर्शन में सुधार करना है का परिचालन में विलंब, विषयगत विशेषज्ञों की अपर्याप्त तैनाती (केवल 11 प्रतिशत की नियुक्ति) तथा ₹ 6.56 करोड़ के भुगतान के बावजूद प्रदर्शन संबंधी लक्ष्यों की खराब उपलब्धि के कारण काफ़ी हद तक अप्रभावी रहा। भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित योजना, मानव-दिवस सृजन तथा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन व्यय से संबंधित प्रमुख लक्ष्यों को पूर्ण नहीं किया गया। इसके बावजूद, प्रदर्शन मूल्यांकन किए बिना मानव संसाधन एजेंसी के अनुबंध का विस्तार कमजोर शासन को दर्शाता है।

रोजगार दिवस का अनियमित आयोजन (केवल 70 प्रतिशत आयोजन) सामुदायिक जागरूकता की कमी को दर्शाता है। अधिनियम के अंतर्गत एक मुख्य जवाबदेही तंत्र, अर्थात् सामाजिक अंकेक्षण, को मापदंडो के अनुसार लागू नहीं किया गया, जिससे कुछ वर्षों में 99.97 प्रतिशत तक ग्राम पंचायतों का अंकेक्षण नहीं किया गया था। योजना के क्रियान्वयन में कार्य की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु निगरानी तंत्र काफी हद तक कार्यहीन रहा, क्योंकि जिला गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठ का गठन नहीं किया गया था।

राज्य भर में महिलाओं की निरंतर और उल्लेखनीय भागीदारी योजना में उनकी मजबूत सहभागिता को दर्शाती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की भागीदारी भी उनकी जनसंख्या के अनुरूप रही, जो मनरेगा में संतुलित एवं समावेशी सहभागिता को इंगित करती है।

8.2 अनुशंसाएं

राज्य सरकार को चाहिए कि:

- ***एक निर्धारित तिथि के साथ सर्वेक्षण के आधार पर परिवारों के आधारभूत आंकड़े अधिसूचित करे तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों की उच्च भागीदारी द्वारा जमीनी स्तर के नियोजन तंत्र को सुदृढ़ करना एवं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पर्याप्त मानव संसाधन प्रदान करना ;***
- ***यह सुनिश्चित करे कि वार्षिक विकास योजना में शामिल कार्यों को ग्राम सभा की स्वीकृति प्राप्त होना चाहिए;***

- *मजदूरी तथा कर्मचारियों के वेतन का समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करना;*
- *रोजगार की मांग का प्रलेखन एवं बेरोजगारी भत्ते का समय पर वितरण सुनिश्चित करना तथा मांग सत्यापन प्रक्रियाओं को नरेगासॉफ्ट के अंतर्गत एकीकृत करना;*
- *सभी ग्राम पंचायतों की वर्ष में दो बार सामाजिक अंकेक्षण हेतु पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध कराना तथा अनुवर्ती कार्यवाही की बारीकी से निगरानी करना।*

रायपुर | **(मो. फ़ैज़ान नैय्यर)**

दिनांक: 30 मार्च 2026 | **महालेखाकार (लेखापरीक्षा)**

छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली | **(के. संजय मूर्ति)**

दिनांक: 06 अप्रैल 2026 | **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट 2.1

(कंडिका 2.4 में संदर्भित)

चयनित जिलों, जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों का विवरण

स . क्र.	चयनित जिलो का नाम	चयनित जनपत पंचायत का नाम	चयनित ग्राम पंचायत का नाम
1	बलरामपुर	रामचंद्रपुर	भीतरछुरा, चूनापातर, हरिहरपुर, मेघुली
		वाड्रफनगर	बर्तिकला, बेटो, गुरमुति, पंसारा
2	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	चंदेनार, मेटापाल, मेटापाल 02, पण्डेवार
		गीदम	बड़ेपनेड़ा, हिड़पाल, हीरानार कुंडेनार
3	जशपुर	पत्थलगांव	बंदनपुर, बूढ़ाडांड़, महेशपुर पतराटोली
		फरसाबहार	धोरासांड, कोल्हेनझरिया, सिकिरिमा, तपकरा
4	रायगढ़	खरसिया	बिलासपुर, दर्री, गाड़ाबोर्डी, जोबी
		धरमजयगढ़	जमाबीरा, पुसल्दा, सियार, सोखामुड़ा
5	रायपुर	धरसींवा	गिरौद, गोधी, कुकेरा, तिवरैया
		तिल्दा	चटौद, खपरीडीह-खुर्द, तुलसीमानपुर, तरपोंगी
6	सरगुजा	लखनपुर	आमडाला, लोसंगा, मुटकी, पोटका
		सीतापुर	बेलगाँव, भरतपुर, कुनमेरा, ललितपुर

परिशिष्ट 3.1

(कंडिका 3.5 में संदर्भित)

मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए मानव संसाधनों का आबंटन

पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	कमी	कमी (प्रतिशत)
राज्य स्तर				
विशेषज्ञों	04	0	04	100
प्रोग्रामर/डेटा एंट्री ऑपरेटर	13	12	01	08
लेखा अधिकारी/लेखापाल	05	03	02	40
अन्य पदाधिकारी	44	28	16	37
कुल योग	**66**	**43**	**23**	**35**
जिला स्तर				
सहायक परियोजना अधिकारी	28	21	07	25
कंप्यूटर प्रोग्रामर	28	21	07	25
जिला समन्वयक (तकनीकी)	28	13	15	54
डेटा एंट्री ऑपरेटर	83	56	27	33
शिकायत निवारण समन्वयक	28	18	10	36
अन्य पदाधिकारी	213	129	84	39
कुल योग	**408**	**258**	**150**	**37**
जनपद पंचायत स्तर				
कार्यक्रम अधिकारी/सहायक कार्यक्रम अधिकारी	146	122	24	16
तकनीकी सहायक	1828	1325	503	28
लेखापाल	292	207	85	29
सहायक प्रोग्रामर	146	118	28	19
समन्वयक (तकनिकी)	146	01	145	99
डेटा एंट्री ऑपरेटर	584	351	233	40
अन्य पदाधिकारी	876	552	324	37
कुल योग	**4,018**	**2,676**	**1,342**	**33**
ग्राम पंचायत स्तर				
ग्राम रोजगार सहायक	10,862	9,159	1,703	16
कुल योग	**10,862**	**9,159**	**1,703**	**16**
राज्य कुल	**15,354**	**12,136**	**3,218**	**21**

(स्रोतः छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

परिशिष्ट 4.1

(कंडिका 4.2 में संदर्भित)

वर्ष 2019-24 के दौरान जारी की गई राशि और किए गए व्यय का विवरण

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	जारी की गई निधि					कुल जारी राशि	विविध प्राप्ति	कटौती/ राशि हस्तांतरण आदेश की अस्वीकृत राशि	कुल उपलब्ध राशि	व्यय			कुल व्यय	अंतशेष
		वेतन		प्रशासन	सामग्री						वेतन	प्रशासन	सामग्री		
		केन्द्रांश	राज्यांश		केन्द्रांश	राज्यांश									
1	2	3	4	5	6	7	8 (3+4+5+6+7)	9	10	11 (2+8+9-10)	12	13	14	15 (12+13+14)	16
2019-20	115.47	2,048.30	177.72	606.80	0.00	188.86	3,021.67	5.02	0.00	3,142.16	2,199.32	150.8	582.67	2,932.78	209.38
2020-21	209.38	3,377.92	191.13	580.54	0.00	181.9	4331.5	38.2	41.29	4,537.79	3,493.35	164.35	761.66	4,419.35	118.44
2021-22	118.44	2,844.88	268.67	234.49	822.65	274.22	4,444.91	188.92	203.39	4,548.89	3,009.17	155.42	746.41	3,911.00	637.89
2022-23	637.89	2,468.55	50	143.47	881.86	242.16	3,786.04	67.98	87.93	4,403.99	2,565.26	155.23	999.51	3,720.00	683.99
2023-24	683.99	2,375.20	174.46	147.04	653.16	269.51	3,619.38	28.30	319.74	4,011.92	2,288.48	187.53	998.19	3,474.20	537.72
योग	**1,765.17**	**13,114.85**	**861.98**	**1,712.34**	**2,357.67**	**1,156.65**	**19,203.50**	**328.42**	**652.35**	**20,644.75**	**13,555.58**	**813.33**	**4,088.44**	**18,457.33**	**2,187.42**

(स्रोतः नरेगासॉफ्ट सूचना प्रबंधन प्रणाली के आंकड़े)

परिशिष्ट 6.1

(कंडिका 6.4.3 में संदर्भित)

क्लस्टर सुविधा परियोजना के तहत समयसीमा में प्राप्त किए जाने वाले परिणामों का विवरण

स.क्र.	परिणाम	नागरिक समाज संगठन/क्लस्टर सुविधा परियोजना के परिणामों के लिए समयसीमा (प्रतिशत में)		
		6 माह	12 माह	18 माह
1	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य पर व्यय, जनपद में क्लस्टर सुविधा परियोजना के प्रारंभ होने की तिथि से 6 महीने के भीतर कुल व्यय के 65 प्रतिशत तक पहुंच जाना चाहिए	100	100	100
2	व्यक्तिगत कार्य पर व्यय, जनपद में क्लस्टर सुविधा परियोजना के प्रारंभ होने की तिथि से 6 महीने के भीतर कुल व्यय के 60 प्रतिशत तक पहुंच जाना चाहिए	100	100	100
3	मनरेगा योजना के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित ग्राम पंचायत योजना को छह महीने के भीतर पूर्ण क्षमता तक पहुंचाना।	ग्राम पंचायत के लिए 100 प्रतिशत भौगोलिक सूचना प्रणाली योजना	भौगोलिक सूचना प्रणाली योजना का 50 प्रतिशत क्रियान्वयन	भौगोलिक सूचना प्रणाली योजना का 100 प्रतिशत क्रियान्वयन
4	भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन योजना के अनुसार कार्यों का प्रारंभ	25	100	100
5	भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन योजना के अनुसार शुरू किए गए कार्यों की पूर्णता।	10	60	100
6	कृषि एवं संबद्ध कार्य पर व्यय, जनपदमें क्लस्टर सुविधा परियोजना के प्रारंभ होने की तिथि से 6 महीने के भीतर कुल व्यय के 60 प्रतिशत तक पहुंच जाना चाहिए	100 प्रतिशत ग्राम पंचायत	100 प्रतिशत ग्राम पंचायत	100 प्रतिशत ग्राम पंचायत
7	सामुदायिक रूप से वृक्षारोपण कार्य की परिपूर्णता	वृक्षारोपण का 100 प्रतिशत योजना	वृक्षारोपण कार्य का 25 प्रतिशत क्रियान्वयन	वृक्षारोपण कार्य का 100 प्रतिशत क्रियान्वयन
8	सामुदायिक और व्यक्तिगत भूमि पर वृक्षारोपण में पौधों की जीवितता दर	सभी ग्राम पंचायत में कम से कम 90 प्रतिशत	सभी ग्राम पंचायत में कम से कम 90 प्रतिशत	सभी ग्राम पंचायत में कम से कम 90 प्रतिशत
9	सभी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जाति परिवारों को जिले के औसत से कम से कम 10 प्रतिशत अधिक मानव-दिवस मिलेंगे।	100	100	100

स.क्र.	परिणाम	नागरिक समाज संगठन/क्लस्टर सुविधा परियोजना के परिणामों के लिए समयसीमा (प्रतिशत में)		
		6 माह	12 माह	18 माह
10	मस्टर रोल बंद होने की तारीख से 8 दिनों के भीतर 100 प्रतिशत निधि हस्तांतरण आदेश (एफटीओ) जारी किया जाना चाहिए।	100	100	100
11	कार्य पूरा होने की दर 9 महीनों के भीतर राष्ट्रीय औसत तक पहुंच जानी चाहिए।	राष्ट्रीय औसत का 80 प्रतिशत	राष्ट्रीय औसत तक	राष्ट्रीय औसत से अधिक
12	ग्राम पंचायत/जनपद स्तर पर क्षमता निर्माण ग्राम पंचायत लाभार्थियों और पदाधिकारियों का क्षमता निर्माण को व्यक्तिगत योजनाओं, जल परिदृश्य, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्लानिंग के लाभ, भौगोलिक सूचना प्रणाली उपकरणों का उपयोग जिसमे मानचित्र पठन आदि शामिल कर, बेहतर बनाया जाना चाहिए।	लाभार्थियों के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण के दो चरण जनपदस्तर पर पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण के दो चरण	लाभार्थियों के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण के चार चरण जनपदस्तर पर पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण के चार चरण	लाभार्थियों के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण के चार चरण जनपदस्तर पर पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण के चार चरण
13	मानव दिवस सृजन के मापदंडों पर जनपद का प्रदर्शन	राष्ट्रीय औसत का 80 प्रतिशत	राष्ट्रीय औसत तक	राष्ट्रीय औसत से अधिक
14	शिकायत निवारण- 15 दिन में निवारण किये गए शिकायतों का प्रतिशत	100	100	100

(स्रोतः क्लस्टर सुविधा परियोजना दिशानिर्देश 2019)

परिशिष्ट 6.2

(कंडिका 6.5.2(i) में संदर्भित)

वर्मीकम्पोस्ट इकाइयों पर निरर्थक व्यय का विवरण

स.क्र.	जिला का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कार्य और लाभार्थी का नाम (वर्क आईडी)	व्यय (₹ में)	कार्य पूर्ण होने की तारीख	संयुक्त भौतिक सत्यापन की तारीख	टिप्पणी
1	दंतेवाड़ा	पण्डेवार	(2022-23) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं वर्मीकम्पोस्ट (गोंडपाल/पंडेवार) 3312006011/आरएस/1111404411)	2,67,483	22-07-2024	22-08-2024	यह उपयोग में नहीं है।
2	जशपुर	धोरासांड	सामुदायिक वर्मीकम्पोस्ट पिट निर्माण (10) (3307014019/आरएस/1111379675)	1,21,382	07-11-2022	28-08-2024	वर्मीकम्पोस्ट पिट खाली पाया गया और उपयोग में नहीं है।
3	जशपुर	तपकरा	वर्मीकम्पोस्ट निर्माण कार्य (3307014066/आरएस/1111401403)	1,65,400	19-05-2023	28-08-2024	वर्मीकम्पोस्ट पिट खाली पाया गया और उपयोग में नहीं है।
4	रायगढ़	दर्री	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन वर्मीकम्पोस्ट निर्माण कार्य (2) दर्री (3313007063/आरएस/1111405766)	97,101	22-09-2023	14-08-2024	हालांकि काम पूरा हो चुका था लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा था।
5	रायगढ़	दर्री	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन वर्मीकम्पोस्ट निर्माण कार्य (4), राजपुर दर्री (3313007063/आरएस/1111405765)	1,90,490	27-10-2023	14-08-2024	हालांकि काम पूरा हो चुका था लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा था।
6	रायगढ़	बिलासपुर	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन वर्मीकम्पोस्ट 2 नग, बिलासपुर (3313007058/आरएस/1111405795)	97,947	22-09-2023	21-08-2024	हालांकि काम पूरा हो चुका था लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा था।
7	रायपुर	खपरीडीहखुर्द	स्वयं सहायता समूहों के लिए वर्मीकम्पोस्ट का निर्माण (3316007091/आरएस/1111361464)	1,24,779	12-10-2020	03-09-2024	वर्मीकम्पोस्ट सूखा था। अनुपयोगी पाया गया।
8	रायपुर	तरपोंगी	वर्मी टैंक निर्माण कार्य-12 नग (3316007007/आरएस/जीआईएस/443735)	4,23,684	02-02-2023	27-08-2024	भौतिक सत्यापन के दौरान, यह निष्क्रिय पाया गया और इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था।
9	रायपुर	तुलसीमानपुर	वर्मी टैंक निर्माण कार्य - 12 नग (3316007038/आरएस/जीआईएस/392850)	3,43,286	09-02-2024	28-08-2024	भौतिक सत्यापन के दौरान, यह निष्क्रिय पाया गया और इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था।
10	रायपुर	गोधी	वर्मी टैंक निर्माण कार्य (3316012018/एवी/1111385608)	6,21,702	01-09-2022	16-09-2024	वर्मी टैंक के आसपास पानी जमा हुआ था। वर्मी टैंक उपयोग में नहीं था।
11	रायपुर	कुकेरा	वर्मी टैंक निर्माण कार्य-10 नग (3316012008/एवी/1111380918)	1,75,304	04-08-2021	13-09-2024	वर्मी टैंक के आसपास पानी जमा हुआ था। वर्मी टैंक उपयोग में नहीं था।

स.क्र.	जिला का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कार्य और लाभार्थी का नाम (वर्क आईडी)	व्यय (₹ में)	कार्य पूर्ण होने की तारीख	संयुक्त भौतिक सत्यापन की तारीख	टिप्पणी
12	सरगुजा	मुटकी	वर्मीकम्पोस्ट का निर्माण (3305007041/आरएस/1111364268)	1,88,622	16-12-2023	02-09-2024	संयुक्त भौतिक सत्यापन में इसका उपयोग नहीं होना पाया गया था।
13	सरगुजा	बेलगाँव	वर्मीकम्पोस्ट का निर्माण (3305006029/आईएफ/1111505969)	1,68,205	04-12-2023	24-08-2024	गलत कार्यस्थल का चयन, वर्तमान में उपयोग में नहीं है।
योग				**29,85,385**			

(स्रोतः नरेगासॉफ्ट का सूचना प्रबंधन प्रणाली के आंकड़ा और संयुक्त भौतिक सत्यापन में लेखापरीक्षा निष्कर्ष)

परिशिष्ट 6.3

(कंडिका 6.5.2 (ii) में संदर्भित)

पशु आश्रयों पर किए गए निरर्थक व्यय का विवरण

स.क्र.	जिला का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कार्य और लाभार्थी का नाम (वर्क आईडी)	व्यय (₹ में)	कार्य पूर्ण होने की तारीख	संयुक्त भौतिक सत्यापन की तारीख	टिप्पणी
1	रायपुर	खपरीडीहखुर्द	स्वयं सहायता समूह बकरी पालन केंद्र (3316007091/एवी/1111380828)	2,08,737	12-01-2021	31-08-2024	वहाँ कोई स्लैब नहीं था। बीच का हिस्सा टूटा हुआ है। इसका उपयोग नहीं हो रहा है।
2	रायपुर	तुलसीमानपुर	पशु विश्राम स्थल निर्माण भाग 2 (3316007038/एवी/1111383558)	12,00,502	02-09-2022	28-08-2024	भौतिक सत्यापन के दौरान, मुख्य दरवाजा बंद पाया गया और यह उपयोग नहीं किया जा रहा था, यह बंद था।
3	रायगढ़	दर्री	पशु कोठा कार्य (3313007063/आईएफ/1111736986)	55,893	22-09-2023	14-08-2024	पूर्ण लेकिन उपयोग में नहीं है।
4	दंतेवाड़ा	मेटापाल	(2021 -22) स्वयं सहायता समूह बकरी शेड निर्माण (3312006017/आईएफ/1111680164)	1,33,311	21-11-2023	20-08-2024	यह वर्तमान में उपयोग में नहीं है।
5	दंतेवाड़ा	मेटापाल	(2021-22) स्वयं सहायता समूह मुर्गी शेड निर्माण, मेटापाल (3312006017/आईएफ/1111670513)	1,44,510	18-11-2023	20-08-2024	यह वर्तमान में उपयोग में नहीं है।
6	दंतेवाड़ा	पंडेवार	(2021-2022) सामुदायिक पशु आश्रय निर्माण पंडेवार (3312006011/ आईएफ /1111640818)	10,59,361	02-01-2024	22-08-2024	यह वर्तमान में उपयोग में नहीं है।
7	दंतेवाड़ा	पंडेवार	2022-23 स्वयं सहायता समूह मशरूम शेड निर्माण पंडेवार (3312006011/एवी/1111445748)	1,15,925	31-01-2025	22-08-2024	यह कार्य अधूरा था। वर्तमान में इसका उपयोग नहीं हो रहा है।
8	दंतेवाड़ा	बड़ेपनेडा	(2022-23) बकरी शेड निर्माण (3312005032/एवी/1111445650)	2,54,250	15-04-2024	31-08-2024	निर्मित संपत्ति का आज तक उपयोग नहीं किया जा सका है और यह निरंतर निष्क्रिय पडा है।
9	दंतेवाड़ा	बड़ेपनेडा	(2022-23) मशरूम शेड निर्माण (3312005032/एवी/1111445651)	1,49,375	22-10-2024	01-09-2024	निर्मित संपत्ति का आज तक उपयोग नहीं किया जा सका है और यह निरंतर निष्क्रिय पडा है।
10	दंतेवाड़ा	बड़ेपनेडा	(2022-23) मुर्गी शेड निर्माण	2,54,555	15-04-2024	01-09-2024	निर्मित संपत्ति का आज तक उपयोग नहीं किया जा सका है और यह निरंतर निष्क्रिय पडा है।
योग				**35,76,419**			

(स्रोतः नरेगासॉफ्ट का सूचना प्रबंधन प्रणाली के आंकड़े और संयुक्त भौतिक सत्यापन में लेखापरीक्षा निष्कर्ष)

परिशिष्ट 6.4

(कंडिका 6.5.2 (iii) में संदर्भित)

पृथक्करण शेडों पर किए गए निष्फल व्यय का विवरण

स. क्र.	जिला का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कार्य का नाम (वर्क आईडी)	व्यय (₹ में)	कार्य पूर्ण होने की तारीख	संयुक्त भौतिक सत्यापन की तारीख	टिप्पणी
1	रायपुर	चटौद	स्वयं सहायता समूह वर्किंग शेड निर्माण (3316007043/एवी/जीआईएस/390163)	5,96,616	29-04-2024	30-08-2024	संपत्ति पर ताला लगा हुआ पाया गया और अनूपयोगी है।
2	रायपुर	खपरीडीहखुर्द	पृथक्करण शेड का निर्माण (3316007091/आरएस/1111400017)	72,176	18-07-2024	31-08-2024	पृथक्करण शेड बंद पाया गया और उपयोग में नहीं है।
3	रायपुर	गिरौद	पृथक्करण शेड का निर्माण (3316012037/ एवी /1111381962)	74,100	01-08-2025	29-10-2024	बंद और अनुपयोगी पाया गया।
4	रायपुर	तिवरैया	पृथक्करण शेड का निर्माण (3316012013/ आरएस/1111381192)	82,604	13-01-2023	19-09-2024	संपत्ति पर ताला लगा हुआ पाया गया और उपयोग में नहीं है।
5	जशपुर	धोरासांड	स्वयं सहायता समूह/संघीय समूह के लिए भवन निर्माण (3307014019/एवी /1111441986)	7,05,994	17-08-2023	28-08-2024	यह पाया गया कि स्वयं सहायता समूह शेड बंद था और उपयोग में नहीं था।
6	रायगढ़	दर्री	स्वयं सहायता समूह शेड निर्माण (3313007063/एवी/1111387008)	1,67,340	30-05-2023	14-08-2024	उपयोग में नहीं था।
7	दंतेवाडा	बड़ेपनेडा	2022-2023 पृथक्करण शेड निर्माण (3312005032/एवी/1111448794	2,45,316	15-04-2024	01-09-2024	निर्मित संपत्ति का आज तक उपयोग नहीं किया जा सका है और यह निष्क्रिय पड़ी है।
8	दंतेवाडा	कुंडेनार	2023-24 सेग्रीगेशन शेड निर्माण कार्य, मसोदी (3312005047/एवी/1111451064)	2,35,313	07-08-2025	05-09-2024	शेड के लिए चयनित स्थल अनुपयुक्त थी, क्योंकि यह निकटतम पारा/टोला से बहुत दूर स्थित है। परिणामस्वरूप, पृथक्करण शेड अप्रयुक्त और अभी भी बेकार पड़ा है।
9	बलरामपुर	चुनापातर	स्वयं सहायता समूह वर्किंग शेड निर्माण (3305016070/एवी/1111445727)	3,01,115	13-06-2024	28-10-2024	निर्मित संपत्ति का आज तक उपयोग नहीं किया जा सका है और यह अभी भी निष्क्रिय है।
10	बलरामपुर	हरिहरपुर	स्वयं सहायता समूह वर्क शेड निर्माण हरिहरपुर (3305016078/एवी/1111445715)	3,03,137	06-04-2023	29-08-2024	शेड के लिए चयनित स्थल अनुपयुक्त थी, क्योंकि यह निकटतम पारा/टोला से बहुत दूर स्थित है। परिणामस्वरूप, पृथक्करण शेड अप्रयुक्त और अभी भी बेकार पड़ा है।
11	बलरामपुर	मेघुली	एसआरएलएम निर्माण (3305016064/डब्ल्यूसी/1111382263)	5,91,717	22-07-2021	28-08-2024	निर्मित संपत्ति का आज तक उपयोग नहीं किया जा सका है
योग				**33,75,428**			

(स्रोतः नरेगासॉफ्ट का सूचना प्रबंधन प्रणाली के आंकड़े और संयुक्त भौतिक सत्यापन में लेखापरीक्षा निष्कर्ष)

© भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag/chhattisgarh/hi